

थाना लो थाना नम्बर

V w.p.
करीब १००
नाम रैयत म. व. विली
११११

00681027

96938

पत्रांक	पत्रांक २१	मनाप	कुमार
---------	---------------	------	-------

अराजी नगदी

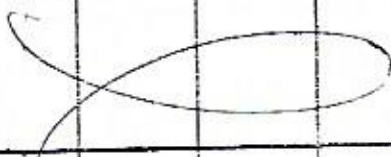
परार्जः भावली

9 (11) पिता - लाल पाण्डे, माता - ग. क. पाण्डे

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया नं :)

2094-95		सालाना	तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष	जका
माल- (नकदी)	92				92
गुजारी (भावली)	3				3
सेस	8				8
* सुद	5				5
मुतफरकात	2				2
मीजान	22.50				22.50

तफसील अदायकारी।

295-76		वकाया				वर्ष	...
अदायकारी बाबत		तीन वर्ष से	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	...	...
		ज्यादा।				...	...
माल-	} (नकदी) (भायली)					12	
गुजारी						0	
सेत						0	
* सुद						0	
मुतफरकात						2.8	
मीजान अदायकारी						2.8	

- (1) गीजान कुल (लफजों में) — 3-1/11 6-1/11 1/11
(2) नाम देहिन्दा —
(3) कुल बकाया —
दस्तखत वो तारीख अमला तहसील

दरखत वो तारीख अमला तहसिल

* ————— का दस्तावेज जलाने वाली धर (सेवाय ऐसे बकायों पर दि)

CHANAKYA REALITY
333
PARTNER

Attested.
3/11/15

राष्ट्रियक अभियान
रोजना एन मोनिटरिंग अंगन-1
जल संसाधन विभाग
किंगडई मयन, पटना

रसीद मालगुजारी
नाम सर्कल। नाम मौजा मय
थाना वो थाना नम्बर



साम्प्रेत्य २५ दिनिः

00681026

9892✓

पानाए	पानाए २९	आनामि देवी
-------	-------------	------------

अराजी नगदी

અરાજી માવલી

अराजी नगदी

पति - लालू लालु

साह सा. लाक्या निमन

राज गदी पा बसोद

जौत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया का हिसाब) मौजूद

जात का सालाना मांग		वर्षाद		
रकबा	2092-93 मांग बाबत	सालाना	तीन वर्ष से ज्यादा	उरा वन
रकबा 382				
रकबा 9200	माल- } (नकदी) गुजारी } (भावली) सेस * सुद मुतफरकात मीजान	6 7.2 3 3 9.2 78.60		

तफसील अदायकारी :

अदायकारी बाबत		वकाया				दिनांक	वर्ग
		तीन वर्ष से ज्यादा ।	३रा वर्ष ।	२रा वर्ष ।	१ला वर्ष ।		
माल—	(नकदी)					६	
गुजारी }	(भावली)					१५	
सेस	...					३	
*सुद	...					३	
भुतकरकात	...					१०२	
मीजान अदायकारी						१४६०	

- (1) मीजान कुल (लफजों में)
(2) नाम देहिन्दा — 5
(3) कुल बकाया —

दस्खत वो तारीख अमला रहसीत

* महाराष्ट्र महात्मा का कर्मकाण्ड महात्माजी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर नि

CHANAKYA REALITY

PARTNER

3/11/15
 सहयक अभियंता
 योजना एवं मोबिलिटी अंश-1
 उच्च संसाधन विभाग
 किर्लोस्की मार्ग, पटना

Sch. XIV. - F.No. 180 V.

रसीद मालगुजारी

नाम सर्कल। नाम नौजा मय

थाना वो थाना नम्बर



10.8

करीब

नाम रसद मय करीब

00681028

74932

पनाहट पनाहट अतिवर्तमान - कुमार

अराजी नगदी अराजक भावली

पिपान लाल काख साह 177-64-मंजोरी लाल

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया)

2098-99 मांग केबल		सालाना	तीन वर्ष से ज्यादा	3रा	2रा	1रा
माल	(नगदी)	98				
गुजारी	(भावली)	3.20				
सेरा		6				
*सुद		6				
मुतफरकत		2.2				
मीजान		38.30				

तफसील अदायकारी:

2098-99 अदायकारी बाबत		बकाया				कुल
		तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष	2रा वर्ष	1रा वर्ष	
माल	(नगदी)					98
गुजारी	(भावली)					3.20
सेरा						6
*सुद						6
मुतफरकत						2.2
मीजान अदायकारी						38.30

(1) मीजान कुल (लकड़ों में)

(2) नाम देखिन्दा

(3) कुल बकाया

दस्तखत वो तारीख अमला तहसील

* माल एवम मीजान पर (रोकाव हेतु बकाया पर ले

CHANAKYA REALITY

PARTNER

Attested
3/11/15
रहमद अमिन्ता
दोजन एवं मोनिटरिंग अंग्रेज-1
एल सलायन निगम
मिर्जापुर, पटना

COURT FEE

Authorization No. 2913



00000

0000005

375303

INDIA

0000000

11.1.2012

BIHAR

51 6475465

आदेश-पत्रक

अधीन 18-कारण नं०-4627

(देखें अधिलेख 1991 का दिवस 1991)

आदेश पत्रक संख्या जिला
अदालत का नाम दिनांक

आदेश की क्र. सं. और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में लिखणी तारीख सहित
1	1) जयसिंह देवी देवी माताजी देवी	
2	2) जयसिंह देवी देवी माताजी देवी	

28/1/12

- 3) विनय कुमार देवी माताजी देवी
4) विनय कुमार देवी माताजी देवी
5) मनीष कुमार देवी माताजी देवी
6) मनीष कुमार देवी माताजी देवी
7) मनीष कुमार देवी माताजी देवी
8) मनीष कुमार देवी माताजी देवी
9) मनीष कुमार देवी माताजी देवी
10) मनीष कुमार देवी माताजी देवी

पर निम्नलिखित जमीन पर दाखिल करीब देव आवेदन-पत्र दाखिल किया है:

मीजा का नाम	होली नं०	खता	पेसवा	सुतली
1) मनीष	1	100	100	100
2) मनीष	2	100	100	100
3) मनीष	3	100	100	100
4) मनीष	4	100	100	100
5) मनीष	5	100	100	100
6) मनीष	6	100	100	100
7) मनीष	7	100	100	100
8) मनीष	8	100	100	100
9) मनीष	9	100	100	100
10) मनीष	10	100	100	100

सुत आवेदन-पत्र हल्का कार्यकारी को अदालत निरीक्षक को सम्पन्न हो प्रविष्टित हो दे दे। महान
पर हल्का जारी कर आपूर्ति की मांग करें। अधिलेख दिया
को उपस्थित करें। लिखाया एवं ग.र. किया।

अदालतियकारी

अदालतियकारी

28/1/12

महान पर दाखिल नोटिस प्रका है। कोई आपाति प्राप्त नहीं है। कार्यकारी का प्रविष्टित अदालत
निरीक्षक को सम्पन्न हो प्रविष्टित हो दे दे। महान पर हल्का जारी कर आपूर्ति की मांग करें। अधिलेख दिया
को उपस्थित करें। लिखाया एवं ग.र. किया।

29/1/12

CHANKYA REALITY

PARTNER

हस्ताक्षर अभियंता
रोजना एवं सोनेटिंग अंगक-1
उल सहायन विभाग
विभागीय महान, पटना

Authorization No. 2913

भारत

STAFF: 11:25

00000

$$\begin{bmatrix} \mathbf{e}_1^T \\ \vdots \\ \mathbf{e}_n^T \end{bmatrix} \mathbf{A} \mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A}^T$$

10

2

25

८३

2

142

7



INDIA

၁၃၄- နဂါးနဂါး

375303

BILAR

→ ZERU, ZERU, ZERU, ZERU, ZERU, ZERU, i.e. →

दाखिल खारज - प्रातवदन

पंथर- 3232

साल - ११-१२-

हस्तिका नम्बर- ६

अंचल - दानापुर

51783

राजस्थान अधिना नम्बर- २१

जिल्हा - पटना

मु० धें जपान रक्या-

प्रश्न का जरिया- आपकी-१: ३५

गुरुद्वयं मनः-

केथाल-

नियम-

[illegible]

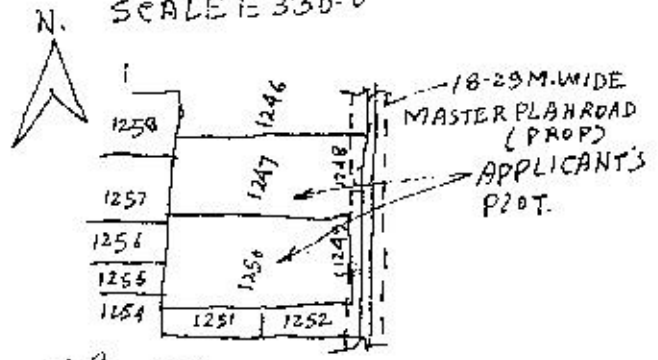
CHANAKYA REALITY

PARTNER

सो.ज.न. एवं सोनिटारिंग अड्डे-1
उल संसाधन विभाग
मिनाई भवन, मटना

APPLICATION No. 5317.

KEY-PLAN OF MAUZA:- DANAPUR.
THANA NO. 21. SURVEY- PLOT NO. 1247,
1250
SCALE 1" = 330'-0"



[Signature]
TRACED BY.

[Signature]
17/7/12
SIGN. OF D/MAN.

[Signature]
30/7/12
SIGN. OF DIRECTOR.

:- - विनापुर

:- - 21

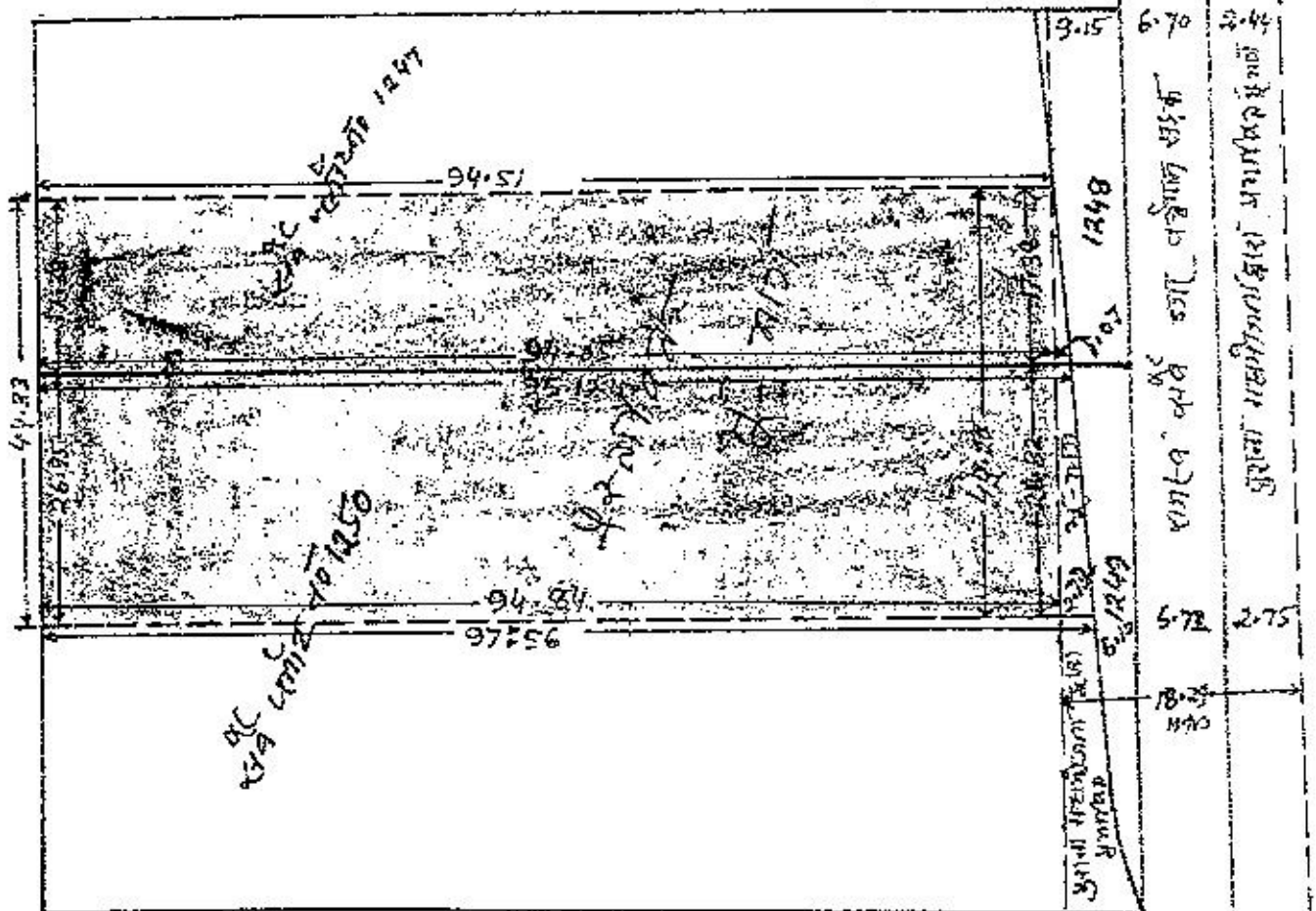
:- - 42 नो

वेहरा (प्लॉट) नं - 1247 (P) एवं 1250 (P)

आपसी बटवारा से प्राप्त कराणी इस प्रकार है:-

- (1) श्री मरि ज्योतिरि देवी खेसरा नं 1250 में - 5 कठों 10 प्यू
- (2) श्री कश्चरलौका कुमार " " 1250 में - 14 कठों 00 प्यू
- (3) श्री मनीष कुमार " " 1247 में - 14 कठों 00 प्यू

33 कठों 10 प्यू = 4238.09 Sq. Mts



राजस्व रसीद में कांकित कराणी - 4238.09 Sq. Mts

स्वामीजी कराणी खेसरा नं 1250 में $\frac{95.12 + 97.56}{2} \times \frac{26.95 + 26.82}{2} = 2590.100$

" " " खेसरा नं 1247 में $\frac{94.51 + 95.12}{2} \times 17.38 = 1647.884$

4237.984 Sq. Mts

सड़क चौड़ाई हेतु सड़क भौजगा द्वारा प्रभावित भू-भाग की लम्बाई = 60.244 Sq. Mts

अतः निर्माण के लिए प्रस्तावित भू-भाग की शुद्ध कराणी = 4237.984 - 60.244

- मान चिह्नित करा रेंग से दर्शाया गया है। = 4177.74 Sq. Mts

दि. 4.11.14
25/05/2015
महाराष्ट्र

- (1) श्रीमती जसोमती देवी धर्मपत्नी श्री लाल बाबू साह
 (2) श्री मनोज कुमार
 (3) श्री अखिलेश कुमार

लेख्यकारी न० 2 एवं 3 के पिता का नाम श्री लाल बाबू साह ,

सभी का निवास स्थान जनकधारी लाल रोड़ , भट्टी पर , थाना वो पत्रालय दानापुर , जिला पटना , जिन्हें इसके आगे जमीन मालिक के नाम से सम्बोधित कि या गया है (जो शब्दावली प्रसंग के प्रतिकूल होने अथवा हटाये जाने की स्थिति को छोड़कर उनके उत्तराधिकारी , निष्पादक , प्रशासक , हितबद्ध उत्तराधिकारी को शामिल करेंगे) , जिन्हें इसमें प्रथम पक्ष कहा गया है।

जसोमती देवी की
 13/3/2012

Manoj Kumar
 13/3/2012

ए व म

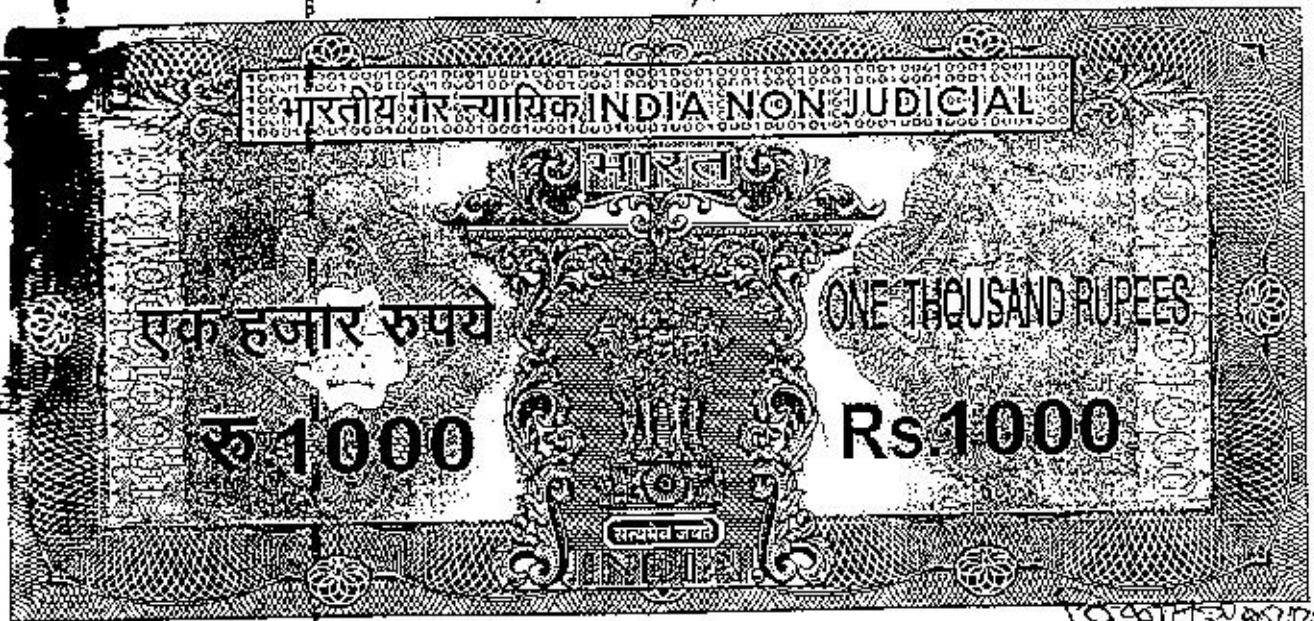
चाणक्य रियलिटी (Chanakya Reality) एक फर्म जो भारतीय पार्टनरशिप एक्ट के अन्तर्गत निबंधित है। जिसका निबंधित कार्यालय गोला रोड़ बेली रोड़ , थाना दानापुर , जिला पटना , बिहार , PAN-AAHFC 8784G , द्वारा पार्टनर श्री मंदु कुमार पिता का नाम स्वर्गीय कपिलदेव प्रसाद साह , निवास स्थान गुलडाक स्थान खगड़ी रोड़ , थाना दानापुर , जिला पटना , के माध्यम से सम्पादित किया जाता है , जिन्हें इसके आगे डेवलपर / भवन निर्माता / उन्नयनकर्ता / विकासक इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है जिसमें उनके कार्यालय के अधिन्यासी नामित एवं उत्तराधिकारी इत्यादि सम्मिलित हैं , जो इसमें द्वितीय पक्ष के रूप में वर्णित हैं के बीच सम्पादित हुआ है।

अखिलेश कुमार
 13-03-2012

यह कि जमीन मालिक मौजा दानापुर शहजादपुर जो महल्ला झखरी महादेव मंदिर से दक्षिण गोला रोड़ में स्थित है , सर्वे थाना दानापुर , जिला पटना के थाना न० 21 (इक्कीस) , जिसका अन्य विवरण अनुसूची संख्या 1 में



मनोज कुमार
 Attested
 3/11/15
 राजा के अतिथि
 योजना एवं गैलेटिंग विभाग-1
 उच्च संसाधन विभाग
 मिशनरी भवन, पटना



~~SECRET~~

क्रम संख्या 1342 तिथि 6-8-12 मूल्य 10350 शीट संख्या 1

H 280564



Date : 13/03/2012

Amy Bauer
13/3/2012

बैंक Scroll एवं गणान
को बैंक प्रति से गणना

हस्ताक्षर..... ई० को:-

विकास कार्य एकरारनामा
(DEVELOPMENT AGREEMENT)

यह विकास एकराशनाभा आज दिनांक 13 माह मार्च सन् 2012



CHANKYA REALTY

PARTNER

राष्ट्रियक अभियन्ता
योजना एवं मॉनिटरिंग अंशक-1
लल सहायन विभाग
क्रियाई भवन, पटना

~~उपनिवेशक वरिष्ठ~~
13/08/2012
श्रीमती देवी साकादे
रा.क.व.ए.सा.स.प्र.वा.स.
13/8/2012

चक्र. मो-
चतुर्थ प्रति
(जमाकर्ता हेतु)

शब्दों में (रकम)

(4)

बिहार सरकार
निबंधन विभाग

पर भानक

दस्तावेजों के निबंधन के लिए जमा किये जाने वाले स्टाम्प शुल्क/निबंधन शुल्क एवं भूस्वामी के निबंध शुल्क के भुगतान के लिए बैंक चालान

1. पक्षकार का नाम /पता: चानक्या रियल्टी
(जिसकी ओर से जमा किया जा रहा है)

2. दस्तावेज का प्रकार: गोला-275-देवरी-275-चानक्या-3108-4

3. निबंधन कार्यालय: पिका (उ.प्र.) (उ.प्र.)

4. बैंक का नाम एवं शाखा: 3108/4

5. भुगतान की जानेवाली राशियों का विवरण: 5. 83. 1. 3108/4

भुगतान का मद एवं शीर्ष	रकम	कुल रकम
स्टाम्प शुल्क-मुख्य शीर्ष -0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण-उप-मुख्य शीर्ष 02-स्टाम्प पर न्यायिक लघु शीर्ष -103- दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाया उप शीर्ष 0001 सकल प्राप्ति पर प्राथमिक इकाई -75 49 सकल प्राप्ति पर विपक्ष कोड -R0030021030001, A/c No.-10963226587	535000	535000
निबंधन शुल्क-मुख्य शीर्ष -0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क उप मुख्य शीर्ष -03 पंजीकरण शुल्क, लघु शीर्ष -104- दस्तावेजों का पंजीकरण शुल्क-उप शीर्ष -0001, प्राथमिक इकाई 75 49 सकल प्राप्ति पर विपक्ष कोड -R0030031040001, A/c No.-10963226576	250 45	295
भूस्वामी शुल्क-मुख्य शीर्ष -0029- भू राजस्व लघु शीर्ष -800- अन्य प्राप्ति पर-उप शीर्ष -0006- अन्य मदें - प्राथमिक इकाई -75 49 भूमि निबंधन शुल्क से आय विपक्ष कोड -R0029008000006, A/c No.-10963226598		

भुगतान का माध्यम: नगद/ चेक/ ड्राफ्ट

कुल योग

535295

कुल राशि शब्दों में: पाँच लाख पचास हजार दो सौ पचास रुपये

स्थान: 3108/4
तारीख: 12/3/12

* चेक/ड्राफ्ट का विवरण पीठ पर अंकित कर दें।

* चेक/ड्राफ्ट की राशि अन्तर्गत होने के परचात ही मान्य होगी

जमाकर्ता का नाम

एवं हस्ताक्षर

FOR USE OF THE BANK

स्कॉल नं०: राशि उपर्युक्त कालम

संख्या 05 में दिये गए विवरण के अनुसार रु०: शब्दों में

रुपये प्राप्त किया

लेख

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

निबंधन हेतु सर्विस चार्ज * जमा करने का विवरण

एस्को सेखा नं०: 30978446198

जमा करने की तिथि:

बैंक स्कॉल नं०:

* (दस्तावेज के पृष्ठ की संख्या +2) X रु० 25/-

CHANKYA REALTY
PARTNER

बैंक की प्राप्ति एवं मुद्रा

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

वर्णित है, पर स्वामी के रूप में स्वतः धारित करते हुए निर्विवाद रूप से शान्तिपूर्वक दखल कब्जे में है।

यह कि श्री रामजी प्रसाद पिता का नाम श्री लाल बाबू साह संयुक्त परिवार के सदस्य थे तथा संयुक्त परिवार के आय से सर्वे खेसरा संख्या 1250 में मवाजी 32 डि० की खरीदारी दिनांक 15-04-1976 ई० को नबिस्ते श्री राम बरन सिंह पिता का नाम स्वर्गीय अनुप सिंह निवास स्थान दानापुर गोंधी नगर, थाना दानापुर, जिला पटना से वय खरीद किये थे। जिसका पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 13, पृष्ठ संख्या 367 से 370, निबंधन संख्या 1525 सन् 1976 ई० निबंधन कार्यालय दानापुर बाके है। वो पुनः उक्त श्री रामजी प्रसाद ने संयुक्त परिवार के आय से सर्वे खेसरा संख्या 1250 में मवाजी 32 डि० की खरीदारी दिनांक 16-04-1976 ई० को नबिस्ते श्री राम बरन सिंह पिता का नाम स्वर्गीय अनुप सिंह निवास स्थान दानापुर गोंधी नगर, थाना दानापुर, जिला पटना से वय खरीद किये थे। जिसका पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 21, पृष्ठ संख्या 20-से-30, निबंधन संख्या 1571 सन् 1976 ई० निबंधन कार्यालय दानापुर बाके है। वो एराजी सर्वे खेसरा संख्या 1247 मवाजी 17 कट्टा की एराजी जमीन मालिक की पैतृक सम्पत्ति है। जिसका विभाजन श्री कलीचरण साह पिता का नाम स्वर्गीय देशई साह वो श्री लाल बाबू साह पिता का नाम स्वर्गीय महावीर साह के बीच दिनांक 21-05-1962 ई० को हुआ। जिसका निबंधन अदर निबंधन कार्यालय दानापुर के पुस्तक संख्या 1, निबंधन संख्या 1651 सन् 1962 ई० है। जिसके अनुसार एराजी सर्वे खेसरा संख्या 1247 मवाजी 17 कट्टा श्री लाल बाबू साह को खास हिस्सा में मिला। जिसपर उक्त श्री लाल बाबू साह अपने पत्नी श्रीमती जसोमति देवी एवं सात पुत्रगण क्रमशः श्री रामजी प्रसाद, श्री लक्ष्मण प्रसाद, श्री विनय कुमार, श्री विनोद कुमार, श्री संजय कुमार, श्री मनोज कुमार वो श्री अखिलेश कुमार के साथ एवं संयुक्त रूप से काबिजे दखिल हुये। बाद में दिनांक 20-12-2008 ई० को सभी पक्षों के बीच सम्पत्ति पैतृक एवं खरीदारी सम्पत्ति का आपस में खानगी विभाजन हुआ। जिसका

CHANKYA REALITY



मनोज कुमार
AHER PARTNER
3/11/15
एकतक अविद्वाना
सौजन्य एवं मोतिहरिंग 24-1-1
एल सौजन्य विभाग
मोतिहरिंग भवन पटना

Manoj Kumar
13/8/2012

अखिलेश कुमार
13-03-2012

18/8/2012
18/8/2012

यादस्त बटवारा दिनांक 26-01-2009 ई0 को सभी के द्वारा निष्पादित किया गया है। जिसके अनुसार सर्वे खेसरा संख्या 1250 में मवाजी 5 कट्टा 10 धुर श्रीमती जसोमति देवी को खास हिस्सा में मिला। वो जमीन मालिक श्री मनोज कुमार को सर्वे खेसरा संख्या 1247 में मवाजी 14 कट्टा जमीन खास हिस्सा में मिला। इसी प्रकार जमीन मालिक संख्या 3 श्री अखिलेश कुमार को सर्वे खेसरा संख्या 1250 में मवाजी 14 कट्टा जमीन खास हिस्सा में मिला। तदनुसार जमीन मालिक अनुसूची संख्या -1 में वर्णित सम्पत्ति पर अपने अपने हिस्सा के अनुसार निर्विवाद रूप से स्वामी के रूप में शान्तिपूर्वक दखल कब्जे में रखकर एवं अपने नाम से दाखिल खारिज कराकर सरकार को लगान का भूगतान करते चले आ रहे हैं। इस तरह से लेख्यकारी प्रथम पक्ष लेख्य सम्पत्ति का अन्तरण एवं किसी प्रकार का एकरारनामा इत्यादि करने के लिए सक्षम हैं। वो उक्त स्वत्व पत्र के आधार पर जमीन मालिक का नाम बिहार सरकार के राजस्व विभाग के अंचल कार्यालय दानापुर के जमाबन्दी रैयत संख्या क्रमशः 16129 एवं 16134 एवं 16135 में दर्ज पाया गया है।

यह कि उपर्युक्त जमीन मालिक प्रथम पक्ष एवं विकासक चाणक्य रियलिटी, जो कि द्वितीय पक्ष है, के सहमति से यह निर्णय लिया गया कि अनुसूची संख्या 1 में वर्णित जमीन पर एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण निम्नलिखित शर्तों एवं बंधनों पर किया जाय।

1. यह कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की सहमति से यह लये किया कि अनुसूची संख्या 1 की जमीन पर नगर परिषद् दानापुर या अन्य किसी प्राधिकृत संस्था से प्रस्तावित भवन का नक्शा एवं प्लान स्वीकृत कराकर उसके अनुरूप बहुमंजिला इमारत बनाएंगे।



CHANAKYA REALITY

ANUP PARTNER

सहायक अभियंता
रोजगा एवं मोनोडरिंग अंतर्गत-1
उप संचालन नि. नि.
भिलाई भवन, कलकत्ता

मनोज कुमार
13/5/2012

जसोमति देवी
13/5/2012

2. यह कि जमीन मालिक प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष चाणक्य रियलिटी डेवलपर-के-बीच इस सम्बन्ध में इस विलेख के निष्पादन के पहले से बातचीत चल रही थी और अब डेवलपर्स ने अन्तिम रूप से यह निर्णय लिया है कि उक्त सम्पत्ति को उन्नयन के लिए ग्रहण करेंगे और जमीन मालिक को आश्वासन दिया तथा आश्वस्त किया है कि उक्त सम्पत्ति का उन्नयन करने में किसी भी तरह से जमीन मालिक को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यह भी कि वे जमीन मालिक को किसी दूसरे व्यक्ति के दावे से उन्मुक्त रखते हुए क्षति होने की दशा में इस एकतरनामा के निष्पादन के पश्चात क्षतिपूर्ति करेंगे।

3. यह कि उभय पक्ष सहमत हुए हैं कि द्वितीय पक्ष अनुसूची संख्या 1 में वर्णित जमीन पर बहुमंजिला इमारत की संरचना करेंगे और उपरोक्त निर्माण के क्रम में जमीन मालिक प्रथम पक्ष का आरम्भ से अंत तक एक रुपया भी खर्च नहीं होगा।

4. यह कि विकासकर्ता विभिन्न भूखण्डों का मिलाकर भी आवासीय इमारत एवं आधुनिक तरीके से फ्लैटों का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अन्य किसी भूखण्ड में उत्पन्न हुये किसी विवाद की कोई जिम्मेदारी या असर जमीन मालिक के भूखण्ड पर नहीं होगी और जमीन मालिक के भूखण्ड पर निर्माण कार्य होता रहेगा एवं जमीन मालिक एवं विकासक के बीच निर्धारित अवधि में कार्य पूरा करके निर्मित क्षेत्र का दखल कब्जा देने की पूरी जिम्मेदारी विकासक की होगी।

5. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता ने यह भी तय किया कि भवन के अन्तिम रूप से निर्माण के पश्चात सम्पूर्ण शिखर पर Terrace का व्यवहार जमीन मालिक के साथ साथ उक्त इमारत के धारक तथा इमारत के स्वामियों द्वारा बनाये गये सदस्य भी करेंगे।

CHANAKYA REALITY



रहस्य के अभियन्ता
दो जन एवं मोनिटरिंग अंश 1-1
एल संतानन विभाग
निर्देशक, रचना

जसे/म/र/द/र/य
13/3/2012
मनोज कुमार
13.03-2012
13/3/2012

6. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता द्वारा यह भी तय किया गया है कि नगर परिषद् दानापुर या अन्य किसी प्राधिकृत संस्था द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित निर्माणाधीन हिस्से में जमीन मालिक को कुल निर्मित क्षेत्र में 50 प्रतिशत परम निर्मित क्षेत्र प्राप्त होगा। वो शेष 50 प्रतिशत विकासक का हिस्सा होगा। इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच यह शर्त निर्धारित है कि निर्मित प्लैट का विभाजन प्राधिकार द्वारा नक्शा पारित होने के पश्चात आपसी तालमेल के आधार पर होगा तथा दोनों पक्षों को प्रत्येक तल्ला पर एवं प्रत्येक दिशा में हिस्सा प्राप्त होगा और सम्पूर्ण इमारत का निर्माण इस विलेख के अनुसूची संख्या II एवं III में वर्णित Specification (विशिष्टताओं) के अनुसार ही होगा।

जमीन मालिक
13/8/2012

7. यह कि डेवेलपर ने स्वीकार किया है कि भवन प्रथम कोटि का सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ होगा और उन्नत इमारत में प्रयुक्त सभी सामान ISI Mark वाले बिना भिलावट के और दीर्घ गुणवत्ता वाले लगाये जायेंगे।

डेवेलपर
13-08-2012

8. यह कि जमीन मालिक की सहमति और लिखित स्वीकृति से डेवेलपर उक्त जमीन पर बनाए जाने वाली इमारत कम्प्लेक्स का नक्शा, स्वरूप और Elevation आकृति तैयार करने, जिसमें किये जाने वाले कार्य का Specification तथा प्रयोग किये जाने वाले सभी सामानों, जो प्रथम कोटि का होने चाहिए, के लिए एक वास्तुकार Architect की नियुक्ति करेंगे। इस पर होने वाली सभी खर्च और Architect को दिये जाने वाला पारिश्रमिक (Fees) डेवेलपर द्वारा दिया जायगा और वहन किया जायगा। यह भी तय हुआ है कि डेवेलपर उक्त जमीन का उन्नयन कर अधिकतम अनुमान्य एफ0 ए0 आर0 सुनिश्चित करेंगे और तदनुसार उन्नयन योजना बनायी जायगी और भवन स्वीकृति प्राधिकार अर्थात् नगर परिषद् दानापुर या अन्य किसी प्राधिकृत संस्था को भेजी जायेगी।

Manoj Kumar
13/8/2012

CHANKYA REALITY

Partner



Attested
13/8/12
सहायक अभियन्ता
संजय एच मोनोटोरिंग अंश 1-2
अल संसाधन विभाग
निर्माण भवन, पटना

9. यह कि डेवेलपर उक्त वास्तुकार Architect द्वारा निर्मित प्लान जमीन मालिक की सहमति से नगर परिषद् दानापुर अन्य किसी प्राधिकृत संस्था या कोई अन्य प्राधिकारों अगर हो, को अपने हस्ताक्षर से जमा कर देंगे और भवन प्लान की स्वीकृति प्राप्त करेंगे। उपर्युक्त कार्य से सम्बन्धित खर्च का भूगतान डेवेलपर करेंगे।

10. यह कि इस मनोबंध के निष्पादन के बाद जमीन मालिक डेवेलपर को उनके कर्मचारियों, अभिकर्ताओं, कारीगरों, अभियन्ताओं एवं मजदूरों को उक्त सम्पत्ति में प्रवेश करने की अनुमति देंगे, जिससे कि वे विभिन्न विकास - कार्य यथ नक्शा और योजना का निर्माण जैसे कार्य कर सकें। वैसे विकास कार्य की सुविधाओं की अनुमति डेवेलपर द्वारा डी0 एम0 सी0 और अन्य प्राधिकारों से भवन निर्माण योजना की स्वीकृति के बाद दी जायगी।

11. यह कि भवन निर्माण की समय सीमा पांच वर्ष की होगी और उसके बाद कार्य पूर्ण करने का छः महीने का कृपा काल दिया जायेगा, जिसकी गिनती प्राधिकार द्वारा भवन निर्माण हेतु नक्शा पारित होने की तिथि से की जायगी।

12. यह कि जमीन मालिक सहमत है और वचनबद्ध है कि वे बिहार एपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा 5, उपधारा 1 एवं 2 तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों का पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरूप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक / संप्रवर्तक एवं भू-स्वामी अपने अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होंगे तथा वे अपने हिस्से को पृथक् रूप से बेचने / अन्तरण करने के हकदार होंगे और उसका नियमानुसूल सक्षम निबंधन-कमर्शियल में निबंधन करेंगे जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायगा। विकासक अपने हिस्से के क्षेत्र को बंधक रखकर ऋण ले सकेंगे और बिक्रय के लिए एकरारनामा करेंगे। जिसमें जमीन मालिक के हिस्से का क्षेत्र सम्मिलित नहीं रहे।

CHANAKYA REALITY



पहले जमीन मालिक
योजना एवं सोलिटिंग 8.4.1-1
एक संकायन विभाग
विशेष भवन, परक

PARTNER

अभिषेक अग्रवाल
13-09-2012

Manoj Kumar
13/9/2012

13/9/2012

13 यह कि जमीन मालिक सहमत हैं और वचनबद्ध हैं कि डेवेलपर अथवा / और उनके नामित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी को कार्य करने में कोई बाधा या विरोध न हो और डेवेलपर को उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काम करने के लिये अधिकार प्राप्त हो, जो उन्नयन के लिए उसकी योजना बनाने के लिये तथा उक्त इमारत के निर्माण तथा फ्लैटों के बिक्री रजिस्ट्री इत्यादि विकासक एवं जमीन मालिक अपने अपने हिस्से का अलग अलग करेंगे।

13/11/2012
13/11/2012

14. यह कि उक्त जमीन पर सम्पूर्ण इमारत कम्प्लेक्स तथा उन्नयन कार्य पूर्ण होने पर डेवेलपर बिक्री योग्य निर्मित इमारत के प्रमुख क्षेत्र का अनुपातिक आधार पर जमीन मालिक को उनका हिस्सा सुपुर्द कर देंगे, निर्मित क्षेत्र में प्रत्येक कोटि के फ्लैटों, पार्किंग स्थल तथा अन्य सामूहिक उपयोग की चीजे होगी एवं डेवेलपर या उनके नामित को अनुपातिक रूप से शेष हिस्सा के भागीदार होंगे, साथ ही साथ इस श्रेणी की तकनीकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्माण प्रथम कोटि का होगा।

3-रिजल्ट अगल
13-03-2012

15. यह कि यथा वर्णित जमीन मालिक का क्षेत्र पर जमीन मालिक को 50 प्रतिशत परम निर्मित क्षेत्र पर अधिकार होगा। जिसका निर्धारण और स्पष्टीकरण उपरोक्त तरीके से किया जायेगा। लेकिन अतिरिक्त निर्माण का निर्धारण एवं स्पष्टीकरण इमारत निर्माण हेतु प्रस्तावित नक्शा पारित होने के बाद किया जायगा। जिसका लिखित एकरारनामा जमीन मालिक एवं विकासक के बीच नक्शा पारित होने के बाद कर लिया जायेगा। परम निर्मित क्षेत्र के अलावा सम्मिलित क्षेत्र अर्थात् सीढ़ी घर, रास्ता, पम्प घर, जेनरेटर घर, वाहन क्षेत्र, लिफ्ट स्थान, प्रहरी घर, सम्मिलित शौचालय एवं सम्मिलित (सामूहिक) उपयोग की अन्य चीजों पर भी जमीन मालिक और डेवेलपर दोनों के द्वारा सामूहिक रूप से उपयोग की जायगी।

Manoj Kumar
13/3/2012

CHANAKYA REALITY



Attested
PARTNER
3/11/12
रजिस्ट्रार अभिव्यक्ति
चंडीगढ़ एन सीटीडीसी 1-1
अवर निबंधन कार्यालय
चंडीगढ़ भारत, पञ्जाब

16. यह कि द्वितीय पक्ष डेवेलपर को उक्त जमीन के उन्नयन का अधिकार होगा जिसका उन्नयन वे उस पर इमारत / प्लैट बनाकर, कार पार्किंग स्थान और अन्यान्य Tenements के द्वारा जो डी0 एम0 सी0 और अन्य सम्बन्धित प्राधिकार से स्वीकृत नक्शे की शर्तों और बंधनों के अनुसार करेंगे अथवा उक्त उद्देश्य के लिए जमीन मालिक डेवेलपर को जरूरत पड़े, तो वैसे सभी कार्य (Acts, deeds and matters) का करने के लिए डेवेलपर को अधिकृत करते हैं जिसमें खास बातें निम्नलिखित हैं:-

- (क) उक्त जमीन पर सम्बन्धित प्राधिकार के नियमों एवं परनियमों के अनुसार जमीन मालिक के नाम से प्रस्तावित इमारत की योजना बनाना और स्वीकृति के लिए आवेदन तैयार करना, कानूनी कदमों, दयनयद्धता सम्बन्धी कागजात तैयार करना, हस्ताक्षर करना तथा परियोजना की स्वीकृति के लिए उन्हें जमा करना।
- (ख) इमारतों तथा परियोजना के लिए सर्वेयर, इंजीनियर, ठेकेदार, मजदूर और अन्य लोगों को नियुक्त करना।
- (ग) पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को आवेदन करना तथा सिनेन्ट, लोहा और अन्य भवन निर्माण सामग्री के लिए सरकारी कोटा के परमिट के लिए आवेदन करना।
- (घ) किसी भी याचिका (Writ) नोटिस या अन्य कानूनी प्रक्रिया प्राप्त करना और जमीन मालिक की ओर से न्यायालय में किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट Tribunal या अन्य के समक्ष उपस्थित होना, साथ ही किसी न्यायालय, सरकारी अधिकारी या Tribunal के समक्ष उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी मामले, मुकदमे में उपस्थित होना, बचाव करना, मुकदमा दायर करना, सभी आवश्यक कागजात पेश करना एवं वकालतनामा दायर करना। वे सभी काम द्वितीय पक्ष डेवेलपर अपने खर्च पर करेंगे।
- (ङ.) इमारत कमप्लेक्स में प्लैट / Tenements आदि खरीदने वालों को अपने प्लैट / Tenements के एवज में वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए डेवेलपर को अपना हिस्सा बंधक रखना।

अर्जुन 11/11/2017

अभिषेक अग्रवाल
12-03-2018

Manoj Kumar
12/5/2017

CHANAKYA REALITY



Partner
12/5/2017
रहास्य अभिलेख
दोस्त एवं मोनोपॉल
बहु संयोजन निमित्त
संयोजन प्रदान करता

- (घ) डेवेलपर को यह अधिकार होगा कि वे अपने अपने हिस्से को सीधे अथवा सहकारी समितियों द्वारा बेचें, आर्बिट्रल करें और खरीदारों के नाम विक्रय पत्र निष्पादित करें।
- (छ) जमीन मालिक ने स्वीकार किया है कि यदि डेवेलपर उक्त परियोजना से सटे या उसके आस पास की जमीन पर कोई दूसरी परियोजना का विस्तार करें तो उन्हें किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होगा।
- (ज) डेवेलपर को यह अधिकार होगा कि वे पूर्वोक्त जमीन पर उन्नयन उस पर एक या अधिक भवन, प्लैट, पार्किंग स्थान और अन्य Tenements इमारत नक्शे के अनुसार बनाकर करेंगे और उन्हें बेचेंगे, आर्बिट्रल करेंगे अथवा निरस्त करेंगे, जैसी जरूरत हो, वैसी करेंगे, ऐसे अधिकार उन्हें डेवेलपर क्षेत्र के निर्माण पर होगा जिसे वे जिसे उचित समझे बेचें और ऐसे प्लैट इकाईयाँ / Tenements पार्किंग स्थान का मूल्य वसूलें और अपने खाते में अपने लिए रखें।
- (झ) पूर्वोक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत के लिए योजना को सम्बन्धित प्राधिकार के नियमों के अन्तर्गत तैयार कर इसे नगर पंचायत दानापुर अथवा सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकृत कराने के लिए आवेदन तथा वेचनबद्धता को, अगर डेवेलपर चाहे तो, जमीन मालिक से ऐसे सभी आवश्यक योजनाओं, विशिष्टों, घोषणाओं, शपथ पत्रों और अन्य कानूनी अथवा Statutory कागजातों पर हस्ताक्षर कराकर डी० एम० सी० अथवा अन्य अधिकारियों से हस्ताक्षर कसने पर सहमत हैं।

17. यह कि जमीन मालिक घोषणा करते हैं कि:-

- (क) कि जमीन मालिक को उक्त जमीन से सम्बन्धित इसके अधिग्रहण या अधिप्राप्ति के लिए कोई नोटिस या अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है और उन्हें इसका उन्नयन करने या कराने के लिए **ANAKYA REALITY**



[Signature]

PARTNER

[Signature]

रहस्यक अभियंता
योजना एवं सोनियाईंग अं० 1-1
एन० संसाधन विभाग
विशेष भवन, पटना

13/01/2012
18/01/2012

अभिषेक अग्रवाल
13-01-2012

Manoj Kumar
13/01/2012

- (ख) कि उक्त जमीन से सम्बन्धित या इसके किसी हिस्से पर कोई दावा, मांग, निषेधाज्ञा या संलग्नता किसी करारोपन-अधिकारी, राजस्व अधिकारी या सरकार अथवा स्थानीय निकायों या अधिकारियों द्वारा नहीं है।
- (ग) कि उक्त जमीन से सम्बन्धित कोई स्वत्व सम्बन्धी कोई मनोबंध या व्यवस्था नहीं चल रहा है और अगर डेवेलपर को किसी ऐसे व्यवस्था का पता चले तो जमीन मालिक अपने स्वयं के खर्च पर उसका चुनौती देकर निष्पादन करेगा।
- (घ) कि जमीन मालिक के अलावा उक्त जमीन पर और किसी का कोई अधिकार, हिस्सा या हक नहीं है और जमीन मालिक किसी बेनामी जमीन मालिक के बेनामीदार नहीं हैं।
- (ङ) कि जमीन मालिक ने घोषणा की है कि उक्त जमीन पर कोई दायित्व या अवभार नहीं है और अगर उस पर कोई झूठा दावा करता है तो जमीन मालिक ऐसे दावे को अपने खर्च पर चुनौती देंगे।
- (च) कि उक्त जमीन के अधिकार से सम्बन्धित किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और कोई भी शुल्क या कर इस विलेख के लिखे जाने तक बाकी नहीं है और अगर इसके पूर्व का कोई टैक्स या शुल्क बकाया हो जो जमीन मालिक उसका भुगतान करेंगे।
- (छ) कि जमीन मालिक उक्त जमीन के हस्तांतरण, अंतरण के उद्देश्य से मनोबंध हो जाने के बाद प्रस्तावित इमारत में डेवेलपर का हित एवं हिस्सा सुरक्षित रहेगा तथा जमीन मालिक वचनबद्ध हैं कि वे पूर्वोक्त घोषणाओं के विरुद्ध कोई काम या कार्रवाई नहीं करेंगे।
- (ज) कि जमीन मालिक को उन्नयनकृत सम्पत्ति में अपने हिस्से को बेचने, पट्टा पर देने अथवा निपटाने का अधिकार होगा।

ज/सो/म/री/द/व/र
13/3/2012

अभिषेक कुमार
13-03-2012

Pranav Kumar
13/3/2012

CHANAKYA REALITY



Pranav Kumar
PARTNER
Attested
2/11/15
रहस्य के अभियंता
श्रीजिता रम सोनिटोरिंग अंडर-2
घर संसाधन विभाग
फिरोज भवन, पटना

18. उचित अधिकार सहित इन प्रावधानों (Presents) के अन्तर्गत डेवेलपर निर्मित भवन में जमीन मालिक के हिस्सा का निर्धारण नगर मखिद दानापुर या अन्य किसी प्राधिकृत संस्था से प्रस्तावित नक्शा पारित होने के पश्चात करके डेवेलपर अपने हिस्से के क्षेत्र को बंधक रख सकते हैं बशर्त कि ऐसा ऋण अथवा उधार डेवेलपर इमारत के अपने हिस्से की जमानत पर लेंगे।

19. इस उन्नयन मनोबंध की शर्तों के अनुपालन के साथ दोनों पक्षों के बीच यह स्पष्ट सहमति हुई है कि डेवेलपर इमारत कम्प्लेक्स में निर्मित क्षेत्र में अपने अपने हिस्सा का विक्री योग्य हिस्से को डेवेलपर, उनके नामित के पक्ष में उक्त ढंग से हस्तांतरित करने के लिए द्वितीय पक्ष डेवेलपर सभी कदम उठायेगा एवं सम्पूर्ण खर्च वहन करेगा।

20. जमीन मालिक अपनी सहमति और वचनबद्धता व्यक्त करते हैं कि वे डेवेलपर के पक्ष में इस मनोबंध की शर्तों एवं बंधजों के अनुरूप उक्त जमीन के उन्नयन से सम्बन्धित सभी आवश्यक कार्य करने के लिए विकासक को प्राधिकृत करते हैं जो अपने हिस्से की जमीन विक्री के निमित्त इकरारनामा इत्यादि को निष्पादित करेंगे।

21. इस उन्नयन मनोबंध के तथा इससे सम्बन्धित सभी जेब खर्च, शुल्क, कानूनी खर्च, जिसमें हस्तांतरण का स्टाम्प और निबंधन खर्च शामिल है, डेवेलपर या उनके नामितों द्वारा वहन किया जायगा।

22. यह कि नक्शा पारित होने के निर्धारित तिथि से पांच वर्ष एवं इसके पश्चात छः माह की कृपा अवधि के अन्तर्गत अगर डेवेलपर इमारत के निर्माण में असफल हो जाते हैं अथवा जमीन मालिक को विक्री योग्य निर्मित क्षेत्र सुपुर्द करने में (चूंकि समय सीमा इस मनोबंध को प्रमुख अंग है) असमर्थ रहते हैं तो, वैसी



Attested by
PARTNER
3/11/15
रहस्यक अभियंता
रोजक रा. मीनिकरिया 3/4/15-2
एन. सी. एन. सिटी
मिहिरा मकान, दानापुर

5/12/2012
13/11/2012

अभिषेक कुमार
13-03-2012

Sanjay Kumar
3/11/2012

CHANAKYA REALTY

हालत में पूर्वोक्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत इमारत को पूरा न करने के कारण डेवेलपर को जमीन मालिक को बिलम्ब दण्ड देना होगा। उक्त बिलम्ब दण्ड मो० 25,000/- पच्चीस हजार रुपये प्रति माह के अनुसार देय होगा।

23. यह कि निर्माण अवधि में भूस्वामी बहुमंजिला इमारत के निर्माण हेतु व्यवहार में लाये गये सामानों की जाँच किसी भी कार्य दिवस में सूर्योदय से सूर्यास्त के अन्दर कर सकते हैं। इसमें द्वितीय पक्ष भू-विकासकों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

24. यह कि इमारत में लगाने वाली अन्य सुविधायें जैसे लिफ्ट, ट्रान्सफॉर्मर बिजली कनेक्शन (मीटर रहित), इन्टरकॉम, बोरिंग, मोटर इत्यादि खर्च को वहन करने की कोई जिम्मेदारी भूस्वामी की नहीं होगी।

25. इस मनोबंध की शर्तों के अनुसार उक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत में विक्री योग्य निर्मित क्षेत्र पर अधिकार एवं हित के अतिरिक्त जमीन मालिक को पर निर्मित क्षेत्र यथा सीढ़ी घर, रास्ता, लिफ्ट, पानी की टंकी, जेनेरेटर कमरा, खुला जगह, वाहन पार्किंग स्थान और सभी सामूहिक क्षेत्र पर भी जमीन मालिक को अधिकार होगा।

26. डेवेलपर डी० एम० सी० के नियम परिनियम और कानूनों का दृढ़ता से पालन करेंगे और सर्वदा किसी क्षति, दावा, मांग जो नियमों और कानूनों उल्लंघन से उत्पन्न हो उसे जमीन मालिक को क्षतिपूर्ति करायेगे।

27. इमारत की योजना में डेवेलपर सभी सामान्य (Civil), बिजली, Plumbing and Sanitary कार्य, जिसमें उपरी टंकी, पानी व्यवस्था, नल पम्प गृह सेवा आदि सामिल है, वे डी० एम० सी० की स्वीकृत योजना के अनुसार शामिल होगा।



CHANAKYA REALITY

PARTNER

राष्ट्रीय अभियंता
योजना एवं सौकरिया एवं 1-1
उक्त संस्था में
निर्माण कार्य

15/8/2012

15/8/2012

15/8/2012

28. प्रस्तावित इमारत डी0 एम0 सी0 द्वारा स्वीकृत हो रहे वास्तुशिल्प की विशिष्टियों के अनुसार निर्मित होगी।

अनुसूची संख्या -I

मौजा दानापुर शहजादपुर जो झखरी महोदय मंदिर से दक्षिण गोला रोड़ में स्थित है, सर्वे थाना दानापुर, जिला पटना के थाना न0 21 (इक्कीस), तौजी संख्या 5401 (पांच हजार चार सौ एक), जिसका अन्य विवरण निम्नवत् है:-

खाता संख्या	सर्वे खेसरा संख्या	एराजी
352 (तीन सौ यावन)	1250 (एक हजार दो सौ पचास)	19 कड़ा 10 धुर
337 (तीन सौ सैंतीस)	1247 (एक हजार दो सौ सैंतालिस)	14 कड़ा

कुल एराजी मवाजी 1 विगहा 13 कड़ा 10 धुर

चौहद्दी

- उत्तर :- पार्ट प्लॉट न0 1247
दक्षिण :- श्री जुगेश्वर सिंह एवं श्री जगन्नाथ सिंह वगैरह
पूरब :- सर्वे आहर (रोड़)
पश्चिम :- श्री रूपलाल सिंह वगैरह

यह कि उपरोक्त सम्पत्ति पूर्ण रूप से आवासीय है+ जिसका प्रचलित बाजार मूल्य भौ0 2,68,00,000/- दो करोड़ अड़सठ लाख रुपया मात्र है।

अनुसूची संख्या -II

जमीन मालिक के क्षेत्र का वास्तु शास्त्रीय एवं ढांचायत विवरण

ढांचा

:- डी0 एम0 सी0 द्वारा स्वीकृत आर0 सी0 सी0

भूकम्प विरोधी फ्रेम ढांचा।



CHANAKYA REALTY

Partner
Attested
3/11/17

राजक अद्वितीयता
सोजन एम मोनिटरिंग जेन-1
एवं संकायन विभाग
निर्वाह भवन, पटना

जस/21/19/2 की
18/3/2012

अतिरिक्त प्रतीक
13-03-2012

मानज/Owner
18/3/2012

(15)

Civil कार्य

डी0 एम0 सी0 द्वारा स्वीकृत उच्च कोटि का ईंट, सिमेन्ट, बालू एवं मसाला।

प्लास्टर

:- दिवाल पर 1:6 एवं सिलिंग 1:4 का मसाला

परिसफ्जन

:- जमीन मालिक के हिस्से के सभी भीतरी दिवारे एवं छत P.O.P. का तीन कोटींग एवं बाहर की दिवारे प्लास्टर की होगी और बेदरकोट से पुती होगी।

दरवाजे

:- दरवाजे का चौखट सखुआ लकड़ी का तथा दरवाजे का पल्ला हार्ड प्लाई बोर्ड (Water proof ISI Mark) का होगा तथा उस पर दो तह सिन्थेटिक इनेमेल पेन्ट होगा। पेन्ट की गुणवत्ता प्रथम कोटि का होगा।

खिडकियाँ

:- अल्युमिनियम फ्रेम में पूर्णतः Glazed खिडकियाँ ग्रील एवं पेन्टिंग के साथ।

फर्श

:- फ्लैट के समस्त फर्श क्षेत्र में मार्बल / मिट्टीफायड टाइल्स, जो उच्च कोटि का होगा।

शौचालय

:- शयन कक्ष से जुड़े कए शौचालय में-सर्व पानी का नल, रंगीन Glazed टाइल्स 7 फीट उँचाई तक डोर लेवल सभी शौचालय का साजो सामान ISI ब्राण्ड का उपयोग होगा।

किचेन का फ्लोर मार्बल एवं बाथ रूम का फ्लोर नन स्कीड टाइल्स का होगा।

रसोई घर

:- ग्रेनाइट स्लैब या ग्रीन स्लैब का कार्यकारी Platform तथा स्टेनलेस स्टील का सिंक, कार्यकारी Platform से 24 इंच उँची रंगीन टाइल्स।

CHANAKYA REALITY



Partner
3/11/15
रहस्य रक्षित
दस्तावेज एवं मोबिलिटी का रजिस्ट्रार
एन सी आर एन सी आर
निकास भवन, पटना

13/3/2012

अभिषेक कुमार
12-03-2012

Manoj Kumar
13/3/2012

(16)

- लिफ्ट :- डी0 एम0 सी0 के नियम के अनुसार उत्तम
क्वालिटी का ISI मार्क का लिफ्ट होमा।
- विजली व्यवस्था :- मानक बिजली सामग्री के साथ Concealed
पी0 भी0 सी0 Conduit Wring (ISI Mark)
सभी शयन कक्ष में A.C. प्वाइंट एवं ड्राइंग
एवं मास्टर में केंद्रीय प्वाइंट।

अनुसूची - II

जमीन मालिक के फ्लैट की खास विशेषताएं:-

1. बैठकखाने में एक इंटरकॉम का प्वाइंट।
2. चौड़ीछो छंटे अपने Submersible Pump से जुड़े सामूहिक उपरी
टंकी से पानी की व्यवस्था।
3. ध्वनिरहित जेनरेटर सभी फ्लैट एवं बोरिंग एवं कॉमन लाइट के दिया
जायेगा। फ्लैट में 300 V.A. प्रति फ्लैट लगाया जायेगा।
4. बैठकखाने में टेलिफोन प्वाइंट (कनेक्शन नहीं)।
5. फ्लैट के अन्दर Concealed बिजली जिसमें तांबे का तार होगा।
6. सभी फ्लैट में इंटरकॉम सुविधा दी जायेगी।



CHAKRYA REALTY

Attested PARTNER
3/11/15
1 कदम अविद्यता
दोषा 1. मोनोरिम अ. 1-1
एक संज्ञात्मक विचार
विचार, मान, पदना

जारी 13/12/12
13/12/12

उत्सव
13-03-2012

13/12/12

यह कि यह एकरारनामा दोनों पक्षों ने अपने पूर्ण स्वस्थ मानसिक स्थिति में सौच समझकर निर्गलित गवाहों के समक्ष लिख दिया कि समय पर काम आवे एवं प्रमाण रहे। समाप्त।

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

1. श्रीमती जसोमति देवी

जसोमति देवी

13/3/2012

2. श्री मनोज कुमार

Manoj Kumar

13/3/2012

3. श्री अखिलेश कुमार

अखिलेश कुमार

13.03.2012

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

(मंदु कुमार)

CHANAKYA REALITY

मंदु कुमार

13.03.2012

PARTNER

साक्ष्यगण

1. Adarsh Kumar

9/- Sakur Cement Store

Choti Machuatoli,

Main Road,

Demapur Cantt,

Patna-801503

2. 13/03/2012

मंदु कुमार गुप्ता

पिता स्व. अपील देवदास

पता 9 गडहिल 15 गुमनाम

स्वामी कानापुरा

प्रारूपकर्ता

अक्षय कुमार

13/3/2012

कोतापन (मंदु कुमार 15) पता

पता 9 गडहिल 15 गुमनाम



CHANAKYA REALITY

मंदु कुमार

PARTNER

3/11/12

रहायश अभियंता

अंकन एवं नोडिफिकेशन अक्ट-2

जल संसाधन विभाग

फिरोज बाग, पटना

Endorsement of Certificate of Admissibility (Rule - 35)

Admissible under Rule 21 : duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. 05. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 536000
Addl. Stamp duty paid under RDA/Municipal Act Rs.
(Paid Rs. 1000/- by N.J. Stamp Paper and Rs. 535795/- through Bank Challan.)

FEE PAID	A1	0 C	0 H1b	0 Ka1	0 Lii	0 LLR
	A8	0 D	0 H2	0 K1b	0 Liii	0 Proc. Fee
	A9	0 DD	0 I	0 K1c	0 Mb	0
	A10	0 E	250 J1	0 K2	0 Na	45
	B	0 H1a	0 J2	0 Li	0 Scan	500

Total Fee
795

Registering Officer
Danapur

Date : 13/03/2012

Endorsement under section 52

Presented for registration at 12:07 PM on Tuesday, 13th March 2012 at the Sub
Registry Office, Danapur

by profession House Wife

Signature of Presentant

Date 13/03/2012

Registering Officer
Danapur

Endorsement under section 58

Execution is admitted by persons and identified by others whose names, photographs, fingerprints and signatures are affixed on the reverse pages of the instrument and are identified by Baiju Kumar Gupta age Sex M son/daughter of Kapildev Prasad resident of Guldag Sthan, Danapur, Patna.

Date : 13/03/2012

Registering Officer
Danapur

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered in Book 1 of DSRO/ SRO Danapur having 19 pages, in the volume CD-6 and document no. of which is printed on the First Page of the document.

Date : 13/03/2012

Registering Officer
Danapur

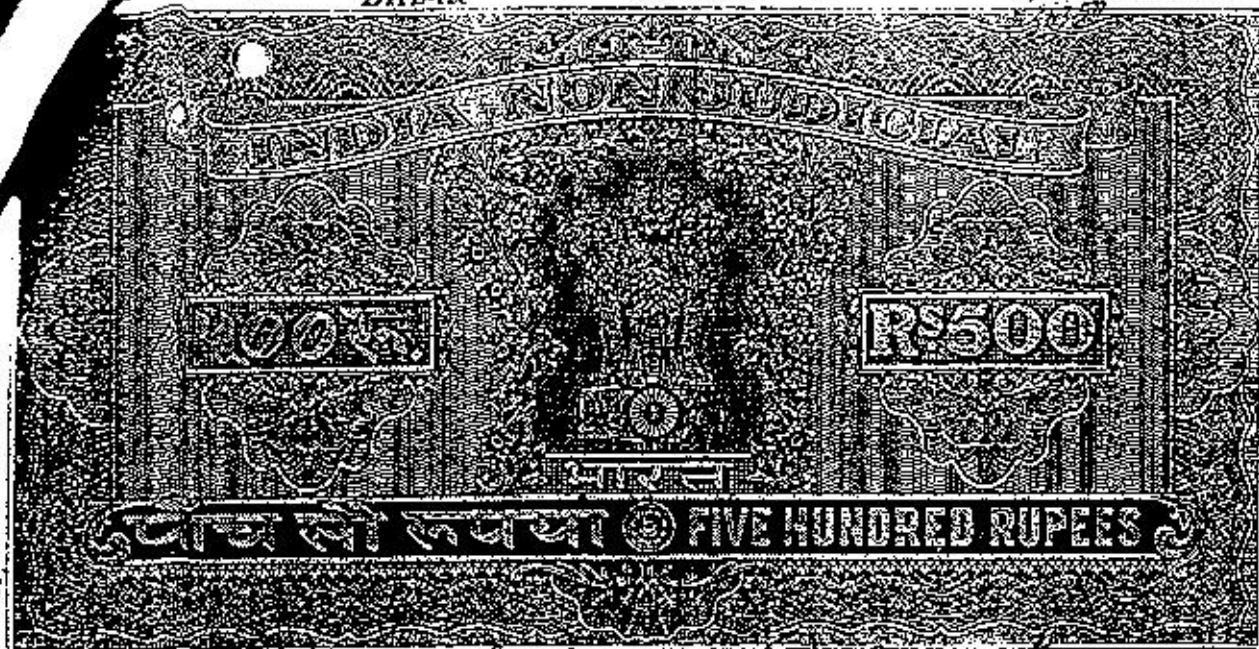
Token No.2781 Year - 2012 S.No. 2760 Deed No. 2174 NIC-Bihar

CHANDRA REALITY
Ver. 2.0

PARTNER

SCANNED

Signature



Handwritten notes and signatures in the left margin, including a signature that appears to be 'Shankar'.

Handwritten calculations and notes in the center margin:

204.75
8.40
9.00
1.12
<u>215.27</u>

Vertical handwritten text on the right margin, possibly a date or reference number.

Handwritten notes and a small circular stamp on the far right margin.

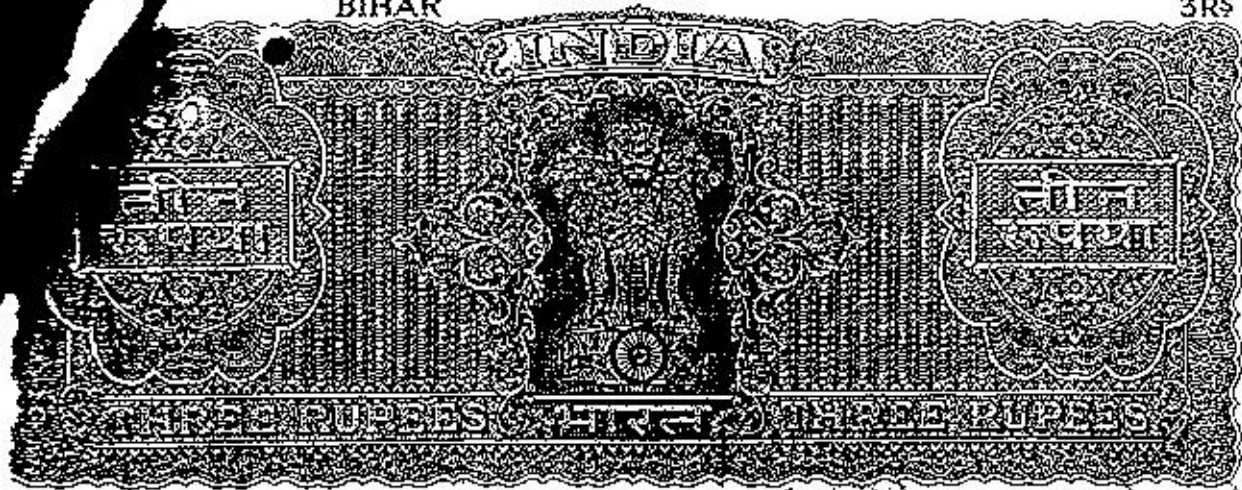
Handwritten text in the middle section, including a signature and some illegible notes.

नामगोपि :- श्री राम चरण सिंह बल्लभ स्वामी जी
अनुपम सिंह जाल अविधवा कुमारी
पेशा खेती, बलाप रुपान कर्मचारी
गाँधी नगर पाना दानापुर जिला
पटना -

नामगोपि :- श्री रामजी फुराक बल्लभ श्री लाल बालु
साथ वर्तमान जाल रोशनगा पेशा कान्हा
निवास रुपान दानापुर गुणाधर बालु
जिला पटना -

CHAKARTIA REALITY

Attested
3/11/15
रहस्यीय निमित्त
रोजना एव मोनिटरिंग अंग्रेज-1
जल सहायन विभाग
बिहार राज्य, पटना



किता :- केवाला बेलफलामा और बिक्रयपत्र
पयका

मह :- मावली १५०० साद नु रज्ज् रक्का
तायका
अरेसका

मह :- मवली ३२ बी. (बनीस जीसीह)
शाहद
हमारेका

शेराजी आवाय सबियत कालरका
आपनी मजरी बर्फ मौज दानपुर
शहजाद डर रक्का मरकोज पपन
पू लपरी आता वो सबजिहदी
दानपुर सदा रजिहदी वो जिला
पटना जो जडा कापारका
बलर अका इन्पुमने इत पन
के है तोमि पका आता इग

बेका २६५ बेका १२५० -
३५२

मालिक बिना लका बजीर कपका
मधिकार दानपुर लका मरि इल्ल
शिव कोरु जालि दमिग लका -
मय कुओ वो जेहल कायक

मह १५०० नु रज्ज् रक्का
१५०० नु रज्ज् रक्का
१५०० नु रज्ज् रक्का

मह १५०० नु रज्ज् रक्का
१५०० नु रज्ज् रक्का
१५०० नु रज्ज् रक्का

Attested
3/11/15
चक्रवर्त जमिंदार
रोजना एवेमोनिटरिंग अंगन-1
जल संवाधन विभाग
बिहार राज्य, पटना

CHANDAKA REALITY

PARTNER



उत्तर - कविता - पुस्तक - पत्रिका
 राजपुत्र - जगेश्वर - सफ - समलक्ष
 जगन्नाथ
 कोटि

36-3-36
 36-3-36
 36-3-36

महामुद्रा

युं काहल सैमोपमा जो श्वानामप्य
 न मुन्दन है मोफा कमाता माहमत
 पचन कुंठ के नैर्य सम्यक्ति है
 जो उनके स्वर्गवास के बाद उनसे
 सारे सम्यक्ति का स्वभाव पुन उगाधिया
 हुए और नाम जगन्नाथ के रहित
 पर आसा से चला आ रहा है और
 काविल वी मालिक हिलचल चले
 आते हैं। और हर विल के फिच
 हफित वी वाहिन से पाक आफ है।

महामुद्रा
 जगन्नाथ
 जगन्नाथ

Attested
 30/1/15

रहस्यक अभिवसा
 योजना एवं मोनिटरिंग अत्र-1
 खेल संसाधन विभाग
 विभागीय भवन, पटना

CHANKYA REALITY

PARTNER

उसके अपने खुशी वी खाहिश
बदलत शैलजात बदलतमी हो की
द्वारा के बाल सारज बक के लिए
मौलिक (पि००) सारे नौ हजार रुपये में
वस्तु मौलिक कलह के रूप में वी
बालकला विद्या वी बल जैसमन बली

सि २१६-४-१६
सि २१६-४-१६

इसलिये जनाव सबाकि हार साख पनापु
के नज्दिक बल पना इस प्रकार
जैसमन बल पना सैराजी सैनाबिपाप
शरीफ वी कलह इस काज तक जो कुछ
हम वी हलक मनाबि की हालिय
कलहिय बलाहिय जैसमन के बली
नाम अपना जामिया के रजिस्ट्र पर
दखे करा लेवेंगे मौलिक वी कोइ हलक
होगा कलह का कलहिय कलह का
कोइ हलक वी दावा मोतलका बली मनाबि
मा उनके वाशक के नहीं रहा वी है
वै न होगा अगर किसी कलहिय

जो २१६-४-१६
सा २१६-४-१६
वा: रमा

Attested
21/11/15

रहादक अभियन्ता
देजना एवं मोनिटरिंग अभियन्ता-१
उल संसाधन निगम
मिहिर भवन, पटना

ANANYA REALITY
PARTNER

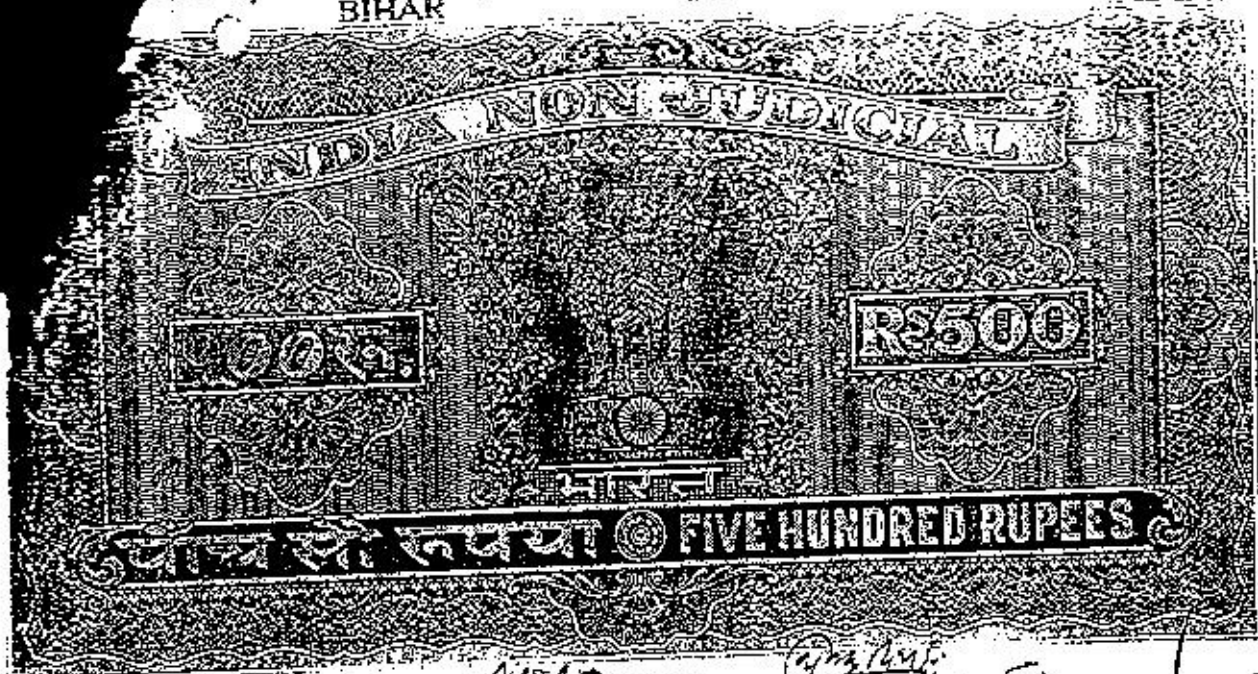
खलक को फट्टा रहे धातु या डल रोनी
 सेनापति से बपोगा या उमर का धान
 वेकसल ही आज ले गलीय अजलत करि
 डल जरीसल अजलत के उमर सुडम
 दुर्गा रवनी लगार मीरु के काफल मोर
 वी घर प्रकार के सभानी गणकुला नीमकुला
 भान होकुशाद से उर कडा पादे वडल
 का लुकी कोर उर गहोका इतपाने
 जे वषीका केवाला केलाकलाती मानि
 विक्रप पल लिन रीका वि खल पाला
 केन लमापु

मंदिर = २१५५२५५
 २१५५२५५

१८-५-२०१५
 १८-५-२०१५
 १८-५-२०१५
 १८-५-२०१५

१८-५-२०१५
 CHANAKYA REALITY
 PARTNER

१८-५-२०१५
 १८-५-२०१५
 १८-५-२०१५



[Handwritten notes and signatures in Hindi]

20475
840
1.00
1.12
213.27

[Vertical handwritten text in Hindi]

[Handwritten text in Hindi, possibly a description of the property or transaction]

नोतामार्फत:- श्री राम वरन सिंह वलद स्वर्गीय
श्री अनुप सिंह जात अपविध्या-
कुमी पेशा रवेला निवस्य स्थान
दनापुर गाँधी नगर पाना
दनापुर जिला पटना।

नोतामार्फत:- श्री रामजी प्रसाद वलद श्री
अलख
लाल बाबु ANAKYA REALTY
पार्टनर

[Vertical handwritten text]
3/11/15
Attested
रहस्यक अभियन्ता
सेना एन नॉन जूडिशियल अंश-1
उल संसाधन प्रभाग
विश्वार्थ भवन, पटना

शैशनगद पैशा कास्तकारी शिवाय
स्थान दानापुर गजाधर चक्रवाता
दानापुर जिला पटना।

सिद्धि रामचन्द्रनमिह
२६/१२/४९

किस :- केवाला बेलकला यानि
वपीका विपुल पत्नी।

तापदा :- ममलोन १००० रुपाई नो हप्तर
जरेसम्मन सेवपया।

श्रीमती/बेलकला
२१/१२/४९

शाहिन :- मवाली ३२० (बनारसी महील)
सोनेरिया रैराजी काबादा राफिर काल
रखी कायती कगडों बाक नौका
दानापुर शहजाद पु रवकधा
महकावा मरमक पूलका

जय उध एड पा रूपा
CHANDRA REALITY
PARTNER

Attested
30/12
रहस्यक अभिकता
रोजना इय मोमिदिया अंगन-1
उल सोममन विमान
मिनाई मयन, पटना



भागा वी सबराजलदी दानपुर
 सबराजलदी वी गिलपला
 जी कम्हा इन्सुमनने दह
 पलाई है लकी पम्प
 भागा २७ स्वगा २६५ स्वगा
 ३५२
 १२५० मालिक विद्या साफा
 बजाई कम्हा अधकारी दानपुर
 लकाज २७ १२ कलाव शीव
 कजोह जागिब कोर बाफ

मही ११ मजमून सिद्ध
 २००९२१५१९

३ ५ ७
 लाजबाव - नज - सज - सजबाव
 साव माफि मिह

भागा २७ स्वगा २६५ स्वगा
 ३५२

मजमून—

भागा २७ स्वगा २६५ स्वगा
 ३५२

भागा २७ स्वगा २६५ स्वगा
 ३५२
 CHAKARTY REALITY
 PARTNER

Attested
 ३१/१२/१२
 १ हादक अभियंता
 राजा एट सोनिटिंग अंगक-१
 राज संसाधन निर्वहन
 निम्नार्थ भवन, पटना

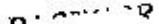
टाईल का बजिग शुरू कर दिया जा-
 समन के खर्चा का टाईल हुआ
 चाहिए कि खर्चा वाद हुआ अर्थात्
 के रजिस्ट्रार पर के प्रा लेकर तोष
 के कोइ ठीक न होगा कप म कप
 किरी किता का कोइ एक की कप-
 मोबाइल काही लफोफे पर डिजिटल
 की गयी छे ची न है ची न होना कगार
 किरी किता के ललल की मद्रा २
 पूज म डूल खेरी खेरी के सारा
 पर डिजिटल वाकाल कपल छे जलतलाली
 अजालत मके डूल जलतलाली का
 ठीक डुल मद्रा की लकी लला
 मोफे का वाकाल मोफे के छे उमर
 सामने मद्रा की गेसम डूल आद
 होशमाद के जिस डुल माद बदल म
 लोके कोइ ठीक न होगा डुल वाकाल के वकीर
 के लला बेला लला मकि बिदुपत
 हिला दिना कि समन को मद्रा

मद्रा
 २०१५/६/१५

Attached
 3/11/15
 रजिस्ट्रार अभियन्ता
 योजना एवं मोनिटरिंग अंश-1
 मद्रा सिसाएन विना
 विनाई मद्रा, मद्रा

मद्रा जलतलाली उमर (मद्रा लला लला)
 मद्रा जलतलाली मद्रा लला लला
 मद्रा लला लला मद्रा लला लला
 मद्रा लला लला मद्रा लला लला

ला: १५- ४
 REALITY
 PARTNER



BIHAR

INDIA

एक रुपया

एक रुपया

ONE RUPEE

भारत

ONE RUPEE

श्री १ मोर
लखनऊ

श्री शालिग्राम लाल उर्फ शर्मा
दशाहलावा गली सेमी मेले रोड
खिली की तिरावानी ग्राम मधुवा
गजपार लखनऊ मुकाम शरीफा
रागा पुनीवारा

श्री २ मोर
लखनऊ

श्री लाल लाल पुत्र श्याम मंड
श्री साह गली सेमी मेले रोड
खिली की तिरावानी ग्राम मधुवा
आरा मधुवा मुकाम शरीफा
धारा रागा पुनीवारा

श्री ३ मोर

लखनऊ

श्री ४ मोर

लखनऊ

श्री ५ मोर

लखनऊ

Attested

हस्तक अभियंता
रोजना एम रोमिटिंग अंश-1
बल संसाधन विभाग
विभागीय भवन, पटना

CHANAKYA REALTY

PARTNER

17.3.2021
18.3.2021
19.3.2021
20.3.2021
21.3.2021
22.3.2021
23.3.2021
24.3.2021
25.3.2021
26.3.2021
27.3.2021
28.3.2021
29.3.2021
30.3.2021
31.3.2021
1.4.2021
2.4.2021
3.4.2021
4.4.2021
5.4.2021
6.4.2021
7.4.2021
8.4.2021
9.4.2021
10.4.2021
11.4.2021
12.4.2021
13.4.2021
14.4.2021
15.4.2021
16.4.2021
17.4.2021
18.4.2021
19.4.2021
20.4.2021
21.4.2021
22.4.2021
23.4.2021
24.4.2021
25.4.2021
26.4.2021
27.4.2021
28.4.2021
29.4.2021
30.4.2021
1.5.2021
2.5.2021
3.5.2021
4.5.2021
5.5.2021
6.5.2021
7.5.2021
8.5.2021
9.5.2021
10.5.2021
11.5.2021
12.5.2021
13.5.2021
14.5.2021
15.5.2021
16.5.2021
17.5.2021
18.5.2021
19.5.2021
20.5.2021
21.5.2021
22.5.2021
23.5.2021
24.5.2021
25.5.2021
26.5.2021
27.5.2021
28.5.2021
29.5.2021
30.5.2021
31.5.2021
1.6.2021
2.6.2021
3.6.2021
4.6.2021
5.6.2021
6.6.2021
7.6.2021
8.6.2021
9.6.2021
10.6.2021
11.6.2021
12.6.2021
13.6.2021
14.6.2021
15.6.2021
16.6.2021
17.6.2021
18.6.2021
19.6.2021
20.6.2021
21.6.2021
22.6.2021
23.6.2021
24.6.2021
25.6.2021
26.6.2021
27.6.2021
28.6.2021
29.6.2021
30.6.2021
1.7.2021
2.7.2021
3.7.2021
4.7.2021
5.7.2021
6.7.2021
7.7.2021
8.7.2021
9.7.2021
10.7.2021
11.7.2021
12.7.2021
13.7.2021
14.7.2021
15.7.2021
16.7.2021
17.7.2021
18.7.2021
19.7.2021
20.7.2021
21.7.2021
22.7.2021
23.7.2021
24.7.2021
25.7.2021
26.7.2021
27.7.2021
28.7.2021
29.7.2021
30.7.2021
31.7.2021
1.8.2021
2.8.2021
3.8.2021
4.8.2021
5.8.2021
6.8.2021
7.8.2021
8.8.2021
9.8.2021
10.8.2021
11.8.2021
12.8.2021
13.8.2021
14.8.2021
15.8.2021
16.8.2021
17.8.2021
18.8.2021
19.8.2021
20.8.2021
21.8.2021
22.8.2021
23.8.2021
24.8.2021
25.8.2021
26.8.2021
27.8.2021
28.8.2021
29.8.2021
30.8.2021
31.8.2021
1.9.2021
2.9.2021
3.9.2021
4.9.2021
5.9.2021
6.9.2021
7.9.2021
8.9.2021
9.9.2021
10.9.2021
11.9.2021
12.9.2021
13.9.2021
14.9.2021
15.9.2021
16.9.2021
17.9.2021
18.9.2021
19.9.2021
20.9.2021
21.9.2021
22.9.2021
23.9.2021
24.9.2021
25.9.2021
26.9.2021
27.9.2021
28.9.2021
29.9.2021
30.9.2021
1.10.2021
2.10.2021
3.10.2021
4.10.2021
5.10.2021
6.10.2021
7.10.2021
8.10.2021
9.10.2021
10.10.2021
11.10.2021
12.10.2021
13.10.2021
14.10.2021
15.10.2021
16.10.2021
17.10.2021
18.10.2021
19.10.2021
20.10.2021
21.10.2021
22.10.2021
23.10.2021
24.10.2021
25.10.2021
26.10.2021
27.10.2021
28.10.2021
29.10.2021
30.10.2021
31.10.2021
1.11.2021
2.11.2021
3.11.2021
4.11.2021
5.11.2021
6.11.2021
7.11.2021
8.11.2021
9.11.2021
10.11.2021
11.11.2021
12.11.2021
13.11.2021
14.11.2021
15.11.2021
16.11.2021
17.11.2021
18.11.2021
19.11.2021
20.11.2021
21.11.2021
22.11.2021
23.11.2021
24.11.2021
25.11.2021
26.11.2021
27.11.2021
28.11.2021
29.11.2021
30.11.2021
1.12.2021
2.12.2021
3.12.2021
4.12.2021
5.12.2021
6.12.2021
7.12.2021
8.12.2021
9.12.2021
10.12.2021
11.12.2021
12.12.2021
13.12.2021
14.12.2021
15.12.2021
16.12.2021
17.12.2021
18.12.2021
19.12.2021
20.12.2021
21.12.2021
22.12.2021
23.12.2021
24.12.2021
25.12.2021
26.12.2021
27.12.2021
28.12.2021
29.12.2021
30.12.2021
31.12.2021



उपेक्षा केरना नये प्रपट
 आया नसा डूई के जो इतना कइ पाके
 का जितना लदना लासा है इतना लद
 लदना जो शी-र ना लना र ने के छु
 या र है जो की कुछ मझा खिजे की
 आपु ना नही है जो जो सी र
 एहरा नन लिके शर शी-र को हागा
 दगा इच्छ है ताका पर इगागरे

मार्ग नये प्रपट

मार्ग नये प्रपट

मार्ग नये प्रपट - 31 - मार्ग नये प्रपट
 75 22 84

CHANAKYA REALITY

मार्ग नये प्रपट PARTNER

Attested.
 31/15

रहायक अभियन्ता
 राजा एवं सोनिटिंग अंग-1
 उल्ल संभाजन विभाग
 जिलाई भवन, पटना

मार्ग नये प्रपट
 मार्ग नये प्रपट
 मार्ग नये प्रपट

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100



Rs. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

E 080262

मूल्य 100/-
श्री लाल बहादुर साह
रब 0 महाबोर माह
श्रीमती जशोमती देवी जौजे श्री लालबाबू साह
श्री लक्ष्मण प्रसाद
श्री विनय कुमार
श्री विनोद कुमार
श्री संजय कुमार
श्री मनोज कुमार
श्री अखिलेश कुमार
सभी वल्दान श्री लालबाबू साह, सभी निवासी मुहल्ला- जनकधारी लाल रो.
भदरी पर, थाना- दानापुर जिला- सहरनगढ़

कैमिली अर्रेंजमेंट डीड/ याददाश्त डीड

1. नाम लेख्यकारीगण :

- 1) श्री लाल बाबू साह बल्द रब 0 महाबोर माह
- ✓ 2) श्रीमती जशोमती देवी जौजे श्री लालबाबू साह
- 3) श्री लक्ष्मण प्रसाद
- 4) श्री विनय कुमार
- 5) श्री विनोद कुमार
- 6) श्री संजय कुमार
- 7) श्री मनोज कुमार
- ✓ 8) श्री अखिलेश कुमार

सभी वल्दान श्री लालबाबू साह, सभी निवासी मुहल्ला- जनकधारी लाल रो.
भदरी पर, थाना- दानापुर जिला- सहरनगढ़

CHAKRYA REALTY

PARTNER

रहायक अभियन्ता
रोज-रा एवं कोन्ट्रोलिंग अंका-1
एल संसाधन विभाग
लियाई भवन, पटना

9) श्री रामजी प्रसाद, निवासी मुहल्ला- छोटी महुआ टोली, थाना- दानापुर,
जिला- पटना।

2. नाम लेख्यधारिणः आपस में।
3. लेख्य प्रकारः फॅमिली अरेजमेंट डीड/याददाश्त डीड
4. मूल्यांकनः शून्य
5. लेख्य सम्पत्ति का विवरणः

मुहल्ला	होल्डिंग नं०	वार्ड नं०	सर्किल नं०	एराजी
1)	124/125	23		
2)	112	23		
3)	127	23		
4)	128/105	23/17		
5)	126/35	23/24		
मौजा	लॉजी नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	एराजी
6) दानापुर 21	5399/17070	208	1409	1 बीधा 17 कट्ठा 9 धूर
7)	5401	319	1246	17 कट्ठा
8)	5401	319	1246	17 कट्ठा
9)	5401	337	1247	17 कट्ठा
10)	5401	337	1247	7 कट्ठा 12 धूर
11)	5401	337	1247	2 कट्ठा 3 धूर
12)	5401	337	1247	4 कट्ठा
13)	5401	352	1250	20 कट्ठा 10 धूर
14)	118	552	747	3 कट्ठा 10 धूर

CHANAKYA REALITY

APARTNER

राज्यक अभियंता
योजना एवं मॉनिटरिंग अंशक-1
जल संसाधन विभाग
गिंवाई भवन, पटना

1. लेख्यधारिणः श्री रामजी प्रसाद
2. लेख्यधारिणः श्री रामजी प्रसाद

3. लेख्यधारिणः श्री रामजी प्रसाद
4. लेख्यधारिणः श्री रामजी प्रसाद

5. लेख्यधारिणः श्री रामजी प्रसाद
6. लेख्यधारिणः श्री रामजी प्रसाद

यह कि इस लेख्य के लेख्यकारी संख्या 1 एवं 2 आपस में पांटे-पट्टी है, जबकि लेख्यकारी संख्या 3 से 9 इनके पुत्रगण हैं। ज्ञातव्य हो कि लेख्यकारी संख्या 1 एवं 2 के एक पुत्र और थे जिनका नाम मुकेश कुमार है। लेख्यकारी संख्या- 9 रामजी प्रसाद पहले दो अपने माता-पिता एवं भाईयों से बँटकर अलग रह रहे हैं। संयुक्त परिवार की सारी सम्पत्ति का सर्वमान्य मूल्यांकन करने के पश्चात उपरोक्त रामजी प्रसाद को उनका हिस्सा, मकान, परती जमीन एवं नकद रुपये के रूप में दे दिया गया था और इस आशय का एक फैमिली अरेंजमेंट डीड भी दिनांक 30.03.2008 को आपसी सहमति से तैयार किया गया था जिस पर उपरोक्त रामजी प्रसाद एवं वर्तमान लेख्यकारीगणों का हस्ताक्षर है। रामजी प्रसाद का उनके हिस्से में दिये गये सम्पत्ति पर सरकारी सिरिस्ते में नाम भी दर्ज हो गया है और वे अपने तख्ते में मिली सम्पत्ति पर शांतिपूर्ण दखल-कब्जा में चले आ रहे हैं। परन्तु सर्वसम्पत्ति से उन्हें एक कट्टा जमीन अलग से और दिया गया और इस प्रकार वे भी इस लेख्य में शामिल हो रहे हैं। जहाँ तक सबसे छोटे पुत्र मुकेश कुमार का सवाल है, उनकी मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, जबकि उनका शादी विवाह भी नहीं हुआ था।

2) यह कि उपरोक्त रामजी प्रसाद के अपने परिवार से बँटकर अलग हो जाने के बाद सभी लेख्यकारीगण आपस में इजमाल रह गये थे लेकिन महिला सदस्यों के बीच अलग-अलग ढंग से जीने की सलक एवं खुद के मालकिन होने के लोभ के चलते घर में बेवजह कलह का माहौल उत्पन्न हो गया था जिसके चलते घर में अशांति का वातावरण हो गया था। लेख्यकारी संख्या 1 एवं 2 ने अन्य लेख्यकारीगणों एवं उनकी पत्नियों की मंशा भौंकर अपने वृद्धावस्था का ख्याल रखते हुए अन्य लेख्यकारीगणों को भी अपने-अपने हिस्से की सम्पत्ति लेकर एक-दूसरे से अलग हो जाने एवं अपने-अपने ढंग से जीने की सलाह दिया जिसे परिस्थितिवश अन्य लेख्यकारीगणों ने भी स्वीकार कर लिया और इस प्रकार सभी लेख्यकारीगण आपस-पड़ोस के गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष 20 दिसम्बर 2008 को इस लेख्य के खाना संख्या पाँच में पणित सम्पत्ति एवं नकदी को आपस में बाँट लिया एवं एक-दूसरे से अलग हो गये और अपने-अपने हिस्से में मिली सम्पत्ति पर काबिज-दखिल हुए वो चले आ रहे हैं।

3) यह कि दिनांक 20.12.2008 से सभी लेख्यकारीगण आपस में बँट गये एवं कोई भी अन्य सम्पत्ति इन लोगों के बीच इजमाल नहीं है। कि उपरोक्त हुए बँटवारे का

CHANKYA REALTY

पार्टनर
रजनीश कुमार
रोजना एवं मोनिटरिंग ऑफिस-1
जल संसाधन विभाग
जिलाई कला, पटना

11/11/2011

5 विवेक कुमार

8 उषा देवी

कोई कागजी प्रमाण नहीं था इसलिए लेख्यकारीगणों ने बंटवारे के समय उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों से आग्रह किया कि उपरोक्त हुए बंटवारे में लेख्यकारीगणों को मिले उनके खास अलग-अलग हिस्सों की सम्पत्ति के प्रमाणस्वरूप एक याददाश्त डीड/फैमिली अरेजमेंट डीड बनाकर सभी लेख्यकारीगणों, को उसकी एक-एक प्रति दे दी जाय ताकि भविष्य में कोई भी पक्ष दूसरे को परेशान न कर सके और अपने-अपने खास हिस्से की सम्पत्ति पर सरकारी कार्यालयों में अपना-अपना नाम दर्ज करवा सकें तथा अपने हिस्से की सम्पत्ति का जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकें। इसलिए इस लेख्य को लिखने की आवश्यकता हुई। चूंकि पंचो/गवाहों ने भी भविष्य में उपरोक्त बंटवारे के प्रमाणस्वरूप इस लेख्य की प्रामाणिकता एवं उपयोगिता को आवश्यक समझा।

4) यह कि उपरोक्त बंटवारे में लेख्यकारी संख्या- 1 ने अपने नाम में अलग तख्ता लेने से इंकार कर दिया, इसलिए लेख्यकारी संख्या दो के नाम से अलग तख्ता मिला था। लेख्यकारी संख्या- 2 लेख्यकारी संख्या-1 की पत्नी है और वे उन्हीं के साथ रह रहे हैं। लेख्यकारी संख्या-2 श्रीमती जशोमती देवी के खास तख्ते को सिड्यूल- 'ए' के रूप में नीचे दर्शाया जा रहा है, जबकि श्री लक्ष्मण प्रसाद जी के तख्ते को सिड्यूल- 'बी', श्री विनय कुमार के खास तख्ते को सिड्यूल- 'सी', श्री विनोद कुमार के तख्ते को सिड्यूल- 'डी', श्री संजय कुमार के तख्ते को सिड्यूल- 'ई', श्री मनोज कुमार के तख्ते को सिड्यूल- 'एफ' एवं श्री अखिलेश कुमार के खास तख्ते को सिड्यूल- 'जी' के रूप में दर्शाया जा रहा है। रामजी प्रसाद के खास हिस्से में एक कट्ठा जमीन जो दिया गया उसे सिड्यूल "एच" के रूप में दर्शाया जा रहा है।

सिड्यूल - 'ए'

(श्रीमती जशोमती देवी लेख्यकारी संख्या-2 के खास हिस्से में मिली सम्पत्ति का विवरण)

जिसमें उन्हें बने हुए घर में सिर्फ रहने का हक है और उनके साथ लेख्यकारी संख्या 7 एवं 8 मनोज कुमार एवं अखिलेश कुमार साथ रहेंगे और उनके मरणोपरान्त उपरोक्त घर मनोज कुमार एवं अखिलेश कुमार का आधा-आधा स्वतः हो जायेगा।

1. मुहल्ला तौजी नं०- खाता नं० प्लॉट नं० एराजी होलिडिंग नं० वार्ड सं०

3 कट्ठा 124,125 23

चौकदारी

उत्तर - गंगा प्रसाद दक्षिण- विनोद कुमार, विनय कुमार, संजय कुमार

पूर्व

सहकर्ता
CHANAKYA REALTY
पश्चिम -
PARTNER

जयचंद्र प्रसाद, महाब्रह्म प्रसाद
सहकारक अभियन्ता
रोजना एवं मोनिटरिंग जंक्शन-1
शाल संसाधन विभाग
विचार्य भवन, पटना

(5)

2. मौजा

चानापुर
21

तौजी नं०-

5401

खाता नं०

352

खंसार नं०

1250

पराजी

5 कदवा

10 धूर

चौहदरी

- अखिलेश कुमार
- जुगेश्वर सिंह एवं जगन्नाथ सिंह
- रांड
- रूपलाल सिंह

नोट :- (1)

लेख्यकारी संख्या 7 एवं 8 को मिली सम्पत्ति का जिक्र सिद्धयुल नं०- 'एफ' एवं 'जी' में अंकित है। इन लोगों को घर नहीं मिला है। उन लोगों को लेख्यकारिणी संख्या दो का मिले घर में हो रहना है एवं उनके मृत्योपरान्त लेख्यकारी संख्या 7 एवं 8 का उपरोक्त घर के आधे-आधे भाग पर स्वतः हकीमत कायम हो जाएगा एवं अन्य लेख्यकारिणों को इस घर से न तो आज कोई संबंध है और न ही भविष्य में रहेगा। लेख्यकारी संख्या 7 एवं 8 का नाम लेख्यकारी संख्या 2 के साथ सरकारी सिरिस्ते में दर्ज हो जायेगा और लेख्यकारी संख्या 2 की मृत्यु के बाद उनका नाम रद्द हो जायेगा और लेख्यकारी संख्या 7 एवं 8 का आधा-आधा भाग पर नाम दर्ज हो जायेगा।

सिद्धयुल - 'जी'

(श्री लक्ष्मण प्रसाद लेख्यकारी संख्या 3 के खास हिस्से में मिली सम्पत्ति का विवरण)

1. मुहल्ला तौजी नं०- खाता नं० प्लॉट नं० पराजी होलिडिंग नं० वार्ड सं०

712

23

चौहदरी

- गली
- जयचंद्र प्रसाद, महाचंद्र प्रसाद
- बंगाली आलम
- पाटलिपुत्र कोसमोदेवि

CHANKYA REPAIR

PARTNER

Attested

सहायक अभियन्ता
रोजक एवं मोनेटरिंग अंश-1
एल एसडीन विभाग
मिथाई भवन, पटना

2.	मौजा	तौजी नं०-	खाता नं०	प्लॉट नं०	एराजी
	दानापुर 21	5399/17070	208	1409	6 कदवा 5 धूर

चौहद्दी

- सुखदेव सिंह	दक्षिण	- विनोद कुमार
- जनकधारी लाल	पश्चिम	- सड़क

3.	मौजा	तौजी नं०-	खाता नं०	खेसरा नं०	एराजी
	दानापुर 21	5401	319	1246	14 कदवा

चौहद्दी

उत्तर	- बलदेव महतो	दक्षिण	- विनोद कुमार
पूरब	- रोड	पश्चिम	- धनराज महतो

सिद्दबल - 'सी'

(श्री विनय कुमार (मुन्ना) लेखनकारी संख्या 4 के खास हिस्से में मिली सम्पत्ति का विवरण)

1.	मुहल्ला	तौजी नं०-	खाता नं०	प्लॉट नं०	एराजी	हॉलिडिंग नं०	वार्ड नं०
						127	23

चौहद्दी

उत्तर	- जसोमती देवी	दक्षिण-	रोड
पूरब	- सड़क	पश्चिम	- विनोद कुमार

2.	मौजा	तौजी नं०-	खाता नं०	प्लॉट नं०	एराजी
	दानापुर 21	5399/17070	208	1409	6 कदवा 5 धूर

चौहद्दी

उत्तर	- संजय कुमार	दक्षिण-	मनोज कुमार
पूरब	- जनकधारी लाल	पश्चिम	- सड़क

SHARADHA REALTY
20/3/2015

अधिकृत अधिकारी
दोऊन एवं मोनिटरिंग अंगन-1
एल संपादन विभाग
कैमेटई एल, एलगा

3.	मौजा	तौजी नं०-	खाता नं०	खंररा नं०	एराजी
	दानापुर 21	5401	337	1247	14 कदठा

चौहद्दी

उत्तर	- संजय कुमार	दक्षिण-	मनोज कुमार
पूरव	- रोड	पश्चिम -	धनराज महतो

सिद्दयुल - 'डी'

(श्री विनोद कुमार लेख्यकारी संख्या 5 के खास हिस्से में मिली सम्पत्ति का विवरण)

1. (क) मुहल्ला	तौजी नं०-	खाता नं०	प्लॉट नं०	एराजी	होलिडिंग नं०	वार्ड नं०
					126	23

चौहद्दी

उत्तर	- जसोमती देवी	दक्षिण-	रोड
पूरव	- विनय कुमार	पश्चिम -	संजय कुमार

(ख) मुहल्ला	तौजी नं०-	खाता नं०	प्लॉट नं०	एराजी	होलिडिंग नं०	वार्ड नं०
					35	24

चौहद्दी

उत्तर	- हरिकिशुन राय	दक्षिण-	रामेश्वर भुशी
पूरव	- सड़क	पश्चिम -	सोती राय

2.	मौजा	तौजी नं०-	खाता नं०	खंररा नं०	एराजी
	दानापुर 21	5399/17070	208	1409	6 कदठा 5 धुर

चौहद्दी

उत्तर	- लक्ष्मण प्रसाद	दक्षिण-	संजय कुमार
पूरव	- जनकधारी लाल	पश्चिम -	सड़क

CHANAKYA REAL ESTATE
PARTNER

एहादक अभियन्ता
रोजना एवं मोनेटरिंग अंश-1
जल संशोधन विभाग
मिनेटर्स भवन, पटना

3/11/15

3. मौजा	तौजी नं०-	खाता नं०	प्लॉट नं०	एराजी
दानापुर 27	5401	319	1246	8 कट्ठा 15 धूर
	5401	337	1247	1 कट्ठा

चौहद्दी

उत्तर	- लक्ष्मण प्रसाद	दक्षिण-	संजय कुमार
पूरब	- रोड	पश्चिम -	धनराज महतो

4. मौजा	तौजी नं०-	खाता नं०	प्लॉट नं०	एराजी
दानापुर 21	118	552	747	2 कट्ठा 10 धूर

चौहद्दी

उत्तर	-	दक्षिण-	रामजी प्रसाद
पूरब	- सड़क	पश्चिम -	

सिद्दहल - 'ई'

(श्री संजय कुमार लेखनकारी संख्या 6 के खास हिस्से में मिली सम्पत्ति का विवरण)

1. (क) मुहल्ला	तौजी नं०-	खाता नं०	प्लॉट नं०	एराजी	होलिडिंग नं०	वार्ड सं०
					128	23

चौहद्दी

उत्तर	- जसोमती देवी	दक्षिण-	रोड
पूरब	- विनोद कुमार	पश्चिम -	जयचन्द्र प्रसाद, महाचन्द्र प्रसाद

(ख). मुहल्ला	तौजी नं०-	खाता नं०	प्लॉट नं०	एराजी	होलिडिंग नं०	वार्ड सं०
					105	17

चौहद्दी

उत्तर	- सड़क	दक्षिण-	रामईश्वर सिंह
पूरब	- गली	पश्चिम -	बुल्ला महतो

2. मौजा	तौजी नं०-	खाता नं०	प्लॉट नं०	एराजी
दानापुर 21	5399/17070	208	1409	6 कट्ठा 5 धूर

CHANKYA REALITY
गुरु गुरु

PARTNER

रजिस्ट्रार ऑफिस में
दस्तावेज एवं मोनिटरिंग अंश-1
जल संसाधन विभाग
नियत काल पर

चाँदरदी

उत्तर	-	विनोद कुमार	दक्षिण-	विनय कुमार
पूरब	-	जनकधारी लाल	पश्चिम -	सड़क
3. मौजा	तौजी नं०	खाना नं०	प्लॉट नं०	एराजी
दानापुर	5401	337	1247	2 कट्ठा 15 घूर
21	5401	319	1246	11 कट्ठा 5 घूर

चाँदरदी

उत्तर	-	विनोद कुमार	दक्षिण-	विनय कुमार
पूरब	-	रोड	पश्चिम -	धनराज महतो

सिद्दियूल - 'एफ'

(श्री मनोज कुमार लेख्यकारी संख्या 7 के खास हिस्से में मिली सम्पत्ति का विवरण)

(1) इस लेख्यकारी को अलग से घर नहीं दिया गया है। इसी तरह लेख्यकारी संख्या 8 अखिलेश कुमार को भी घर नहीं दिया गया है। ये दोनों लेख्यकारी संख्या 2 श्रीमती जशोमती देवी के हिस्से में दिये गये घर में ही रह रहे हैं और उनके मरने के बाद लेख्यकारी संख्या 7 एवं 8 का श्रीमती जशोमती देवी वाले मकान का आधा-आधा भाग पर स्वतः हकियत एवं कब्जा प्राप्त हो जायेगा। अन्य लेख्यकारीगणों को उक्त मकान से कोई वास्ता नहीं रहेगा।

2) मौजा	तौजी नं०	खाना नं०	प्लॉट नं०	एराजी
दानापुर	5399/17070	208	1409	6 कट्ठा 5 घूर
21				

चाँदरदी

उत्तर -	विनय कुमार	दक्षिण -	अखिलेश कुमार
पूरब -	जनकधारी लाल	पश्चिम -	सड़क

CHANAKYA REALTY

रजिस्टर्ड अभियंता
रोजना एवं मोनिटरिंग अंगन-1
उल्ल संभारन विभाग
विस्तार माल, पटना

3) मौजा तौली नं० खाता नं० प्लॉट नं० एराजी
 दानापुर 5401 337 1247 14 कदवा

मौजा तौली नं० 5401
 खाता नं० 337
 प्लॉट नं० 1247
 एराजी 14 कदवा

बौद्धरी

उत्तर - विनय कुमार
 पूरब - सड़क
 दक्षिण - अखिलेश कुमार
 पश्चिम - महेश्वर सिंह

सिद्धिपुल - 'जी'

✓ श्री अखिलेश कुमार लेख्यकारी संख्या 8 के खाता हिस्से में मिली सम्पत्ति का विवरण)

(1) इस लेख्यकारी को अलग से घर नहीं दिया गया है। इसी तरह लेख्यकारी संख्या 7 श्री मनोज कुमार को भी अलग से घर नहीं दिया गया है। ये दोनों लेख्यकारी संख्या 2 श्रीमती जशोमती देवी के हिस्से में दिये गये घर में ही रह रहे हैं और उनके मरने के बाद लेख्यकारी संख्या 7 एवं 8 का श्रीमती जशोमती देवी वाले मकान का आधा भाग पर स्वातः हकियत एवं कब्जा प्राप्त हो जायेगा। अन्य लेख्यकारीगणों को उक्त मकान से कोई वास्ता नहीं रहेगा।

(2) मौजा तौली नं० खाता नं० प्लॉट नं० एराजी
 दानापुर 5399/17070 208 1409 6 कदवा 5 धूर

बौद्धरी

उत्तर - मनोज कुमार
 पूरब - जनकधारी लाल
 दक्षिण - शिव गोविन्द
 पश्चिम - सड़क

3) मौजा तौली नं० खाता नं० प्लॉट नं० एराजी
 दानापुर 5401 352 1250 14 कदवा

CHANAKYA REALITY

PARTNER

राज्यक अभियन्ता
 योजना एवं भूमि विभाग-1
 एल. संसाधन विभाग
 फिरोजपुर, पटना

मौजा तौली नं० 5401
 खाता नं० 337
 प्लॉट नं० 1247
 एराजी 14 कदवा

चौहद्दी

उत्तर - मनोज कुमार
पूरव - सड़क

दक्षिण - जसोमती देवी
पश्चिम - महेश्वर सिंह, रूपलाल सिंह

सिद्धिपूल - 'एच'

(श्री रामजी प्रसाद लेख्यकारी संख्या 9 के खास हिस्से में उनके पूर्व में दिये गये अलग तख्ते को छोड़कर दिये गये सम्पत्ति का विवरण)

मौजा	वॉली नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	एराजी
दानापुर	118	552	747	1 कदवा

21

चौहद्दी

उत्तर - विनोद कुमार
पूरव - सड़क

दक्षिण -
पश्चिम -

(5) ज्ञातव्य हो कि उपरोक्त अलग-अलग सिद्धिपूल में दर्शाये गये, सम्पत्ति पर लेख्यकारीगण अपने-अपने खास दखल-कब्जे में चले आ रहे हैं और अपनी भर्जी के अनुसार उसका उपभोग कर रहे हैं। किसी भी पक्ष को एक-दूसरे की सम्पत्ति से न तो कोई संबंध है और ना ही भविष्य में रहेगा और सभी लेख्यकारीगण अपने-अपने घर के सुद कर्ता को मालिक हैं और पूर्णरूपेण आपस में बंट चुके हैं। कोई भी सम्पत्ति अब इन लोगों के बीच में इज्माल नहीं रहा। विदित हो कि लेख्यकारी संख्या 3 से आठ तक लेख्यकारी संख्या 2 के हिस्से में दर्शाये गये मकान में रह रहे हैं। उक्त मकान में सिर्फ लेख्यकारी संख्या 7 एवं 8 ही उनके साथ रहेंगे और शेष लेख्यकारीगण जनवरी 2010 तक अपने अपने घर में चले जायेंगे और हर हाल में मकान खाली कर देंगे। यदि ऐसा नहीं

करेंगे तो उन्हें अलग-अलग प्रतिदिन एक-एक हजार ₹० की दर से जुर्माना देना होगा और लेख्यकारी संख्या- 2 लेख्यकारी संख्या 7 एवं 8 की मदद से न्यायालय की शरण लेकर उन्हें घर से निष्कासित कर देगी और साथ खर्च उन लोगों से सुद समेत वसूल कर लेगी।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सभी लेख्यकारीगण अपनी-अपनी मानसिक व शारीरिक स्वस्थता की स्थिति में तथा बिना किसी दवाव, धमकाव व बहकाव में पड़े हुए एवं अपने-अपने हानि-लाभ को पूर्णतया समझ-बुझकर और इस लेख में लिखी गई सारी बातों को स्वयं पढ़कर व पढ़ाकर सुन-समझकर व सही पाकर अपना-अपना

CHANAKYA REALTY

PARTNER

Attested

रहादक अभियन्ता
रोजत हद मोनिटरिंग ऑफिस-1
एन संसाधन विभाग
विहार भवन, पटना

करने जो उसे न्यायालय के समक्ष अमान्य माना जायेगा।
पक्षकारों को जो अलग-अलग सिड्यूलों में सम्पत्ति दी गयी है उसमें से आर्इटम नं. 2 वाले प्लॉट में रास्ता पीछे से आगे तक सभी को द्वारा छोड़ा जाएगा जिस पर सबों का हक होगा एवं कोई भी पक्ष उक्त रास्ते पर भविष्य में कोई बनावट नहीं करेगा एवं ना ही उसे अवरोध करेगा।
एवं नीचे दी गयी अर्जमेंट ड्राइंग कुल 7 प्रति में तैयार किया

1) Sunil Manohar

2) $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$ 3) $\frac{1}{x^3} = x^{-3}$

3) Niraj Kumar Gupta

4) ant ar 07/4 2015

5) Ranjit Kr. Sharma

7) मालविकाग्निमित्रम्

2) वास्तविक संख्या

3) लक्ष्मण प्रसाद

4) $\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} = -1$

5) विनीतकार

6) अजय कुशिल

7) $\frac{1}{2} \log 2$

Hi अरिबलेश कुमार

9) $\frac{1}{x^2 + 5x + 6}$

26.01.09

24
27/3/2013
CHANAKYA REALITY
PARTNER

रिहायक अभियन्ता
दो. जग. एवं मोनिटरिंग अफसर-1
एत. संसाधन विभाग
फिरोजपुर, पटना

अंचल पदाधिकारी का कार्यालय

भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र

979
9/11/12

नं. अरिपत्त-2/कमर पिता/मति श्री लाल लाल साह
ग्राम जनकधारी खाल बोंड अर्ध 45 थाना दानापुर जिला पटना

ग्राम का नाम एवं थाना संख्या	तौजी संख्या	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा	
				एकड़	डि०
	5401	208 352	1409 1250	6 कड़	
				5 कड़	
				14 कड़	
				0.5 कड़ 0.5 कड़	

दानापुर 216 जा 489
थाना नं० - 2)

~~200 आठ 1409~~
स्वामित्व जमीन की जांच की
आवेदक के नाम से ठाकरा है।
जमीन रूग्नी है। भाग नंबर
2012-13 तक अधून बंधन है।
जमीन आवेदक के स्वामित्व
में है।
18/11/12
C.9

आवेदक का हस्ताक्षर
अरिपत्त-2/कमर

कार्यालय का मुहर

CHANKYA REALITY
PARTNER



कर्मचारी का प्रतिवेदन

अंचल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

Attested
3/11/12
रहस्य के अभिप्राय
चौकता एवं मोनिटरिंग अंशक-1
एल संभाषन विभाग
विभागीय पदम, पटना

भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र

ग्राम मनोज कुमार् पिता/प्रति श्री लाल दाऊ खाँ
ग्राम जिनक दासी लाल रोड, बट्टी थाना दानापुर जिला पटना

ग्राम का नाम एवं थाना संख्या	तौजी संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा	
				एकड़	डि०
<u>दानापुर खाँ जादपुर</u>	<u>5401</u>	<u>208</u> <u>337</u>	<u>1409</u> <u>1247</u>	<u>6 कड़</u>	
				<u>5 कड़</u>	
				<u>14 कड़</u>	
				<u>01 पकड़ा</u> <u>*5 कड़</u>	

थाना न० - 21

डॉ० अरुण कुमार
 आवेदन जमीन की जायजगी
 आवेदक के नाम से जायजगी है,
 जमीन है मही है। मजान वर्ष 2012-13
 तक अत्यंत वृद्ध है। जमीन
 आवेदक के स्वामित्व में है।

03/11/15

आवेदक का हस्ताक्षर
मनोज कुमार्



कर्मचारी का प्रतिवेदन

कार्यालय का मुहर

CHANAKYA REALITY
पारस कुमार
PARTNER

अंचल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

Attested
3/11/15
 सहायक अभियंता
 रोमक एन फोनिटिग अंशक-1
 जल संसाधन विभाग
 किंगडॉम भवन, पटना

भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र

78/30/11/12

नम ज्योत्सना देवी पिता/पति श्री लाल बहादुर साहू
 ग्राम जनक पारी लाल रोड अदी थाना दानापुर जिला पटना

ग्राम का नाम एवं थाना संख्या	तौजी संख्या	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा	
				एकड़	डि०
दानापुर बाहजानपुर थाना नं०- 21	5401	352	1250	5 कड़ा 10 छर	

इसका प्रमाण
 आवेदित जमीन की जागह
 आवेदिका के नाम से आग्रह है।
 जागह स्थली है। जागह वर्ष
 2012-13 तक अग्रहण में है।
 जागीर आवेदिका के नाम पर है।

3/11/12

आवेदक का हस्ताक्षर
 ज्योत्सना देवी

कर्मचारी का प्रतिवेदन

कार्यालय का मुहर

CHANAKYA REALITY
 PARTNER



अंचल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

Attested
 3/11/15
 सहायक अभियंता
 योजना एवं अभिवर्धन अंचल-1
 जल संसाधन विभाग
 मिर्जापुर, पटना

कार्यालय अंचल अधिकारी

.....

पारिवारिक प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या : 56

दिनांक : 29.2.2

राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन
एवं आवेदक/आवेदिका के शपथ पत्र संख्या दिनांक 29.2.2012
के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका लाल धाबू ताह
साकिन जनकधारी लाल रोड पोस्ट दानापुर
थाना दानापुर जिला - पटना के पिता / पति / पत्नी / माँ
स्वर्गीय के मृत्यु उपरान्त निम्नलिखित
सदस्य इनके परिवार में है।

क्रमांक	सदस्यों का नाम	उम्र	मृतक से संबंध
1.	लाल धाबू ताह	82	स्वयम्
2.	अम्मातो देवी	75	पत्नी
3.	राजजी प्रसाद	55	पुत्र
4.	लक्ष्मण प्रसाद	48	"
5.	विनय कुमार	46	"
6.	विनोद कुमार	42	"
7.	तंजय कुमार	40	"
8.	मनोज कुमार	36	"
9.	अखिलेश कुमार	32	"



अंचलाधिकारी

CHANDRA SHEKHAR

सहायक अभियंता
रोजगार एवं मोबिलिटी अभियान-1
जन संसाधन विभाग
सिंहगढ़ भवन, पटना

PARTNER